पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की मंगलवार, दिनांक 20.09.2016 को समय अपराह्न 03.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.07.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 एवं 27.07.2016 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयो को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शास. महावि. सरायपाली, जिला–महासमुंद स्थापना वर्ष–1971-72, M.COM. P. 2015-16	M.Com. Final Year	25	2016–17	1. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंध संस्थान पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. डी.के. पाण्डेय, शास. महावि. तिल्दा 3. डॉ. अब्दुल करीम, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य महा. महासमुद

निरीक्षण तिथि : 21.08.2016 –
वि.वि. के पत्र क्रमांक 1971/अका./2016 दिनांक 12.08.2016 के संदर्भ मे आज दिनांक 21.08.2016 को निरीक्षण किया एवं देखा।

1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. M.Com. (final) मे छात्र संख्या के अनुरूप पुस्तके पर्याप्त है, लेकिन बदले गये पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है।
3. दो शिक्षक जन भागीदारी के तहत कार्य कर रहे है। शासन द्वारा पद स्वीकृति नही है यद्यपि प्राचार्य द्वारा शासन से मांग की गई है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महावि. नवापारा (राजिम) स्थापना वर्ष–1993-94 छ.ग. शासन का आदेश क्र. 17–25/2016/38–2 दिनांक 30.01.2016	B.Sc. Computer Sc.	20 सीट वृद्धि	2016–17	1. डॉ. संजय तिवारी, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला 2. डॉ. समीर ठक्कर, शास. नागार्जुन स्ना. विज्ञान महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 28.07.2016
विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 1819 दि. 23.07.2016 के परिपालन मे गठित निरीक्षण समिति ने 28.07.2016 दको अपरान्ह 2:30 बजे सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा राजिम का निरीक्ष्ज्ञण किया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत है :

1. महाविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर साइंस की अतिरिक्त 20 सीटों के लिए मांग के अनुरूप अध्यापन कक्ष पर्याप्त है।
2. महाविद्यालय में B.Sc. कम्प्यूटर साइंस के अतिरिक्त B.C.A. एवं P.G.D.C.A. पाठ्यक्रम संचालित है अतः वर्तमान पुस्तकों की अच्छी संख्या होने के बाद भी छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तकों की संख्या बढानी होगी।
3. उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन व यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप कम्प्यूटर में शिक्षक अर्हता नही रखते व कोई भी NET/SLET या Regulation 2009 के अनुसार Ph.D. नहीं है। पाठ्यक्रम (3) के लिए शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है।
4. पाठ्यक्रमों की संख्या व छात्रों की संख्या (20 अतिरिक्त) के लिए कम्प्यूटर प्रयोगशाला में स्थान अपर्याप्त है तथा निर्माण कार्य चल रहा है। License Software अपर्याप्त है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03.	पं. रामसखा उपाध्याय महाविद्यालय, एकता नगर, गुढियारी, रायपुर	B.C.A.	30 सीट वृद्धि	2016-17	1. प्रो. संजय तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स अ.शा. 2. डॉ. समीर ठक्कर, आचार्य, भौतिकी शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. रायपुर
		D.C.A.	30 सीट वृद्धि		
		P.G.D.C.A.	30 सीट वृद्धि		
	स्थापना वर्ष–2005-06 छ.ग. शासन का आदेश पृ. क्र. 1847 / 1376 / 2012 / 38–2 दि 23.05.2012				

निरीक्षण तिथि :– 20.08.2016

विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 1881 दिनांक 01.08.2016 के परिपालन में दिनांक 20.08.2016 को अपराह्न 7:30 बजे समिति ने पं. रामसखा उपाध्याय कॉलेज, रायपुर का निरीक्षण किया तथा रिपोर्ट निम्नानुसार है –

1. महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सीट वृद्धि के लिए पर्याप्त अधोसंरचना है। प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार नवीन कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं में पर्याप्त कम्प्यूटर तथा फर्नीचर है।
2. महाविद्यालय के पास पाठ्यक्रमों के लिए पर्यापत कम्प्यूटर की पुस्तके हैं तथा नवीन पुस्तकों का क्रय प्रक्रिया चल रही है।
3. महाविद्यालय में College Code 28 के आधार पर कम्प्यूटर अध्यापन के लिए 02 शिक्षक नियमित है तथा 04 शिक्षक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत है।
4. महाविद्यालय द्वारा Free open source Software install किये जा रहे है तथा license Software हैं तथा कुछ अन्य के क्रय का सुझाव दिया गया है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04.	शासकीय दू.ब.महिला (स्वशासी) स्नातकोत्तर महा. रायपुर	P.G. Diploma in Yog Education and Philosophy	20	2016–17	1. डॉ. भगवंत सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष दर्शन एव योग अध्ययनशाला 2. डॉ. राजीव चौधरी, संकायाध्यक्ष एवं आचार्य, शारीरिक शिक्षा, अध्ययनशाला
	स्थापना वर्ष–1957-58 छ.ग. शासन का आदेश क्र. एफ 3–34 / 2015 / 38–1 दि. 05.07. 2016	M.Sc. Final Year Physics (III & IV Sem.)	25	2016–17	1. डॉ. आर.सी. अग्रवाल, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. आर.एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र. शु.वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि :– P.G. Diploma in Yog Education and Philosophy - 06.09.2016,

शास. दू.ब. महिला (स्वशासी) स्नातकोत्तर महा., रायपुर का योग में पी.जी. डिपलोमा पाठ्यक्रम हेतु निरीक्षण दिनाक 03.09.2016 को किया गया। महाविद्यालय में 02 बडे हाल तथा फर्नीचर उपलब्ध है। शासन ने 20 सीटो का अनुमोदन किया है। अभी एक भी विद्यार्थी का प्रवेश नही हुआ है। महा. प्रदेश का प्रतिष्ठित संस्थान है एव सुविधा सम्पन्न है। यह महा. योग शिक्षा एवं दर्शन में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालन के लिए पात्र है।

निरीक्षण तिथि :– M.Sc. Final -14.09.2016

1. एम.एस.सी. भौतिकी के अध्यापन हेतु दो नियमित शिक्षकों
2. महाविद्यालय में अधोसरचना पर्याप्त है, मगर अलग--अलग क्लासरूम एवं प्रयोगशाला एम.एस.सी. के लिए व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
3. प्रयोगशाला में नये उपकरणों की अत्यंत आवश्यकता है।
4. विद्यार्थियों को WI-FI एवम् Internet सुविधाएं मुहैया कराने की निहायत जरूरत है।
5. पुस्तकालय में एम.एस.सी. भौतिकी के पाठ्यक्रम आधारित एवम् पाठ्यक्रम इत्तर पुस्तकों की अपर्याप्तता है जिसे क्रय करने की नितांत आवश्यकता है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर **स्थापना वर्ष–1995-96** **PREVIOUS- 2015-16**	M.S.W. (Final Year) M.Com. (Final Year) B.B.A. -II Year	25 20 30	2016–17	1. डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, आचार्य, समाजशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, शासकीय जी.एन.ए. महावि. भाटापारा 3. डॉ. आशीष श्रीवास्तव, आचार्य, वि.वि. प्रबंधन संस्थान, प.र.शु.वि.वि. रायपुर
	निरीक्षण तिथि :– 03.09.2016 वि.वि. का पत्र क्रमांक 2045 / अका. / 2016 रायपुर दिनांक 19.03.2016 के तहत आज दिनांक 03.09.2016 को एम.एस.डब्ल्यू. (अंतिम वर्ष), एम.कॉम. (अंतिम वर्ष) एवं बी.बी.ए. (द्वितीय वर्ष) सत्र 2016–17 से अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया एवं देखा (i) महा. में अधोसंरचना पर्याप्त है। (ii) पुस्तकालय में उक्त पाठ्यक्रम हेतु छात्र अनुपात में और पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है। (iii) वाणिज्य विषय में परिनियम 28 के तहत 03 सहा. प्राध्यापक की नियुक्ति की गयी है एवं प्राचार्य परिनियम 28 के तहत नियुक्त है लेकिन बी.बी.ए. एवं एम.एस. डब्ल्यू. में परिनियम 28 के तहत सहा. प्राध्यापक नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता है।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
06.	महर्षि दयानन्द संस्कृत कॉलेज, ग्राम–कोसरंगी, पो. –पचेड़ा, जिला–महासमुंद **छ.ग. शासन का आदेश क्र. एफ 17–64 / 2016 / 38–2 दिनांक 16.05.2016**	शास्त्री प्रथम वर्ष	60	2016–17	1. डॉ. राम किशोर मिश्र, अध्यक्ष, प्राच्य संस्कृत अध्ययनमण्डल, एवं आचार्य, शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महावि. रायपुर 2. डॉ. शिवेश्वर उपाध्याय, आचार्य, शास. डी.एस. व्ही. संस्कृत महावि. रायपुर
	निरीक्षण तिथि :– 03.09.2016 भाग–'अ' में दी गयी जानकारी का विधिवत् निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए सम्बद्धता प्रदान करने की पात्रता बनती है।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
07.	शास. राजीव लोचन महाविद्यालय, राजीम, जिला–गरियाबंद **स्थापना वर्ष–1971-72** **M.A. P.-2015-16**	M.A. - Final Year -Hindi Lit.	25	2016–17	1. डॉ. अल्का श्रीवास्तव, प्राचार्य, शास. महाविद्यालय, गोबरा (नवापारा), जिला–रायपुर 2. प्रो. रमेश अनुपम, शास. दू.ब. महिला पीजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
	निरीक्षण तिथि :– 14.09.2016 महाविद्यालय सन् 1972 से स्थापित एवं संचालित है। यहां कला, वाणिज्य एवं विज्ञान तीनों संकायों में अध्यापन कार्य होता है। हिंदी विषय में वर्तमान में 02 सहायक प्राध्यापक कार्यरत् हैं। महाविद्यालय के ग्रंथालय में हिंदी साहित्य से संबंधित 5635 ग्रंथ हैं। कक्षा संचालन हेतु अध्यापन कक्ष उपलब्ध है। समिति सर्वसम्मति से संस्था को ए.ए. हिंदी के द्वितीय तथा तृतीय सेमेस्टर की सम्बद्धता हेतु पात्र मानती है।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
08.	शास. सुखराम नागे महावि. नगरी (सिहावा), जिला–धमतरी	PGDCA	30	2016–17	1. डॉ. आर.एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला, प.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. संजय कुमार, कम्प्युटर अध्ययनशाला, प.र.शु.वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 17.09.2016

1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. दो कम्प्यूटर शिक्षकों की नियमित नियुक्ति आवश्कता है।
3. कम्प्यूटर Lab मे कम्प्यूटर है। 5 और कम्प्यूटरो के क्रय करने की आवश्यकता है।
4. पाठ्यक्रम के अनुसार Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।
5. Fast Internet की कम्प्यूटर प्रयोगशाला में आवश्यकता है।

पुस्तकालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों को क्रय करने की आवश्यकता है।

04. **शहीद स्मारक महाविद्यालय, रायपुर की सम्बद्धता वापस लिये जाने के प्रकरण पर विचार करना।**

टीप : शहीद स्मारक महाविद्यालय, रायपुर को बी.ए., बी.कॉम. एवं पी.जी.डी.सी.ए. के साथ सत्र 2013–14 में प्रथम वर्ष विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 11579/अका./संबद्धता/2013 दिनांक 13.08.2013 के द्वारा प्रदान की गई है।

महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं किया है और न ही नियमानुसार बी.ए. एवं बी.काम. की सत्र 2014–15 एवं 2015–16 में द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष की सम्बद्धता की कार्यवाही गई है।

परिनियम 27 की कंडिका–9 –

> **9. If, for any reason, a College is unable to impart instruction for two years in any subject for which it is granted affiliation, such affiliation shall be regarded as having lapsed.**

05. **MOOCs Courses through SWAYAM platform पाठ्यक्रम के संबंध में यू.जी.सी. का पत्र क्र. D.O.F.No. 1-100/2016(MOOCs/e-content) Date 27th July 2016 पर विचार करना।**

टीप : भारत का राजपत्र जुलाई 20, 2016 में उल्लेखित ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढॉचा) विनियम 2016 एवं यू.जी.सी. का पत्र क्र. D.O.F.No. 1-100/2016(MOOCs/e-content) Date 27th July 2016 की छायाप्रति संलग्न है।

06. **ADDITIONAL STATUTE NO. 1- CONVOCATION के संशोधन प्रस्ताव पर विचार करना।**

टीप : संशोधन समिति द्वारा की बैठक दिनांक 28.06.2016 में ADDITIONAL STATUTE NO. 1- CONVOCATION संशोधन हेतु बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रस्तावित संशोधन की छायाप्रति संलग्न है। विद्यापरिषद् के स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

07. **यू.जी.सी. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05 मई, 2016 – एम.फिल./पी–एच.डी. हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया, विनियम 2016 के संबंध में विचार करना।**

टीप : (i) पी–एच.डी. हेतु वर्तमान में प्रचलित अध्यादेश–45 में यू.जी.सी. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05 मई, 2016 के बिन्दु क्रमांक 2.2, 4.2, 4.4, 5.2.3, 9.4 पर संशोधन हेतु विद्यापरिषद् के स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। कार्यालयीन टीप संलग्न।

(ii) टेकेश्वरी सिन्हा, सुभाष नगर दुर्ग एवं श्रीमती शारदा वर्मा, रायपुर द्वारा पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा–2016 में अन्य पिछडा वर्ग को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने संबधी आवेदन विद्यापरिषद् के स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

08. **विश्वविद्यालय द्वारा मान्य शोध पत्रों की सूची यू.जी.सी. को प्रषित करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय द्वारा मान्य शोध पत्रों की सूची संलग्न है।

09. **Regional Studies and Planning के स्थान पर Rural Development विषय को समाजिक विज्ञान संकाय में सम्मिलित करने पर विचार करना।**

टीप : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.06.2016 में अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 1(i) में Regional Studies and Planning विषय को समाजिक विज्ञान संकाय में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई है। चूंकि क्षेत्रीय अध्ययन अनुसंधानशाला में एम. ए. पाठ्यक्रम M.A. in Rural Planning and Development को संशोधित करते हुए M.A. in Rural Development अधिसूचना क्रमांक 6291/अका./2015 दिनांक 18.11.2015 के द्वारा किया गया है। अतः **Regional Studies and Planning के स्थान पर Rural Development संशोधित कर समाजिक विज्ञान संकाय में सम्मिलित करने हेतु** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

10. **सत्र 2015–16 एवं 2016–17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :–**

शासकीय महाविद्यालय

1. शास. के.एल. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला–महासमुंद
2. शास. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
3. शास. नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी
4. संत गुरुघासी दास शास. महाविद्यालय, कुरूद, जिला–धमतरी (2015–16 एवं 2016–17)
5. शास. राजीव लोचन महाविद्यालय, राजीम, जिला–गरियाबंद
6. शास. बी.पी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, आरंग, जिला–रायपुर
7. शास. सुखराम नागे महाविद्यालय, सिहावा (नगरी), जिला–धमतरी
8. शास. स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय, सरायपाली, जिला–महासमुंद
9. शास. महाविद्यालय, लवन, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
10. शास. राजमहंत नयन दास महिलाग महा., भटगांव, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (2015–16 एवं 2016–17)
11. शास. मिनिमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
12. शास. प. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा, रायपुर
13. शास. कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम), जिला–गरियाबंद
14. सत्य नारायण अग्रवाल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा–नेवरा), जिला–रायपुर
15. शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद
16. शास. जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

अशासकीय महाविद्यालय

1. काम्पटेक महाविद्यालय, सोरिद नगर, धमतरी
2. अभ्युदय कालेज, चन्द्रखुरी फार्म, रायपुर
3. नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर
4. पं. रामसखा उपाध्याय महाविद्यालय, एकता नगर, गुढियारी, रायपुर
5. गुरूकुल इंस्टिट्यूट देवभोग रोड, गरियाबंद
6. कांफ्लुएंस कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव (2015–16)
7. आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोपरा, जिला–गरियाबंद
8. सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.–1131/3, रिंग रोड नं.–3, ग्राम–तुलसी, रायपुर
9. प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, माना रायपुर
10. क्रुति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, चंद्रखुरी फार्म, रायपुर
11. सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, कापा, रायपुर
12. के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीर सावरकर नगर, अटारी, रायपुर
13. गुरूकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी
14. छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा, जिला–धमतरी
15. वंदे मातरम महाविद्यालय, पुराना नूतन स्कूल, गणेश चौक, धमतरी
16. रामचण्डी महाविद्यालय, बगईजोर, सरायपाली, जिला–महासमुंद
17. श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.–581, ग्राम–पचेडा, तह –अभनपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
18. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्युट ऑफ फिजिकल एजुकेश, ग्राम– पचेडा, जिला–रायपुर (छ.ग.)
19. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, पचेडा, अभनपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
20. आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.–483/1, प.र.शु.वि.वि. जिम्नेशियम के सामने, डुमर तालाब, कांगेर वैली एकेडमी, रायपुर (छ.ग.)
21. आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट छतौना, मंदिर हसौद, रायपुर (छ.ग.)
22. रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम–धनेली, माना, रायपुर (छ.ग.)
23. श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.–129, ग्राम–धनेली, पो. –माना कैम्प, रायपुर (छ.ग.)
24. कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम), जिला–गरियाबंद
25. राम कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 94, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.)
26. श्री राम कॉलेज, ग्राम व पो.–सारागांव, जिला–रायपुर (छ.ग.)

11. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1850 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2016 रायपुर, दिनांक 28/07/2016

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 27.07.2016 अपराह्न 03.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	–	सदस्य
3. डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
4. डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
5. डॉ. शैल शर्मा	–	सदस्य
6. डॉ. राजीव चौधरी	–	सदस्य
7. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

अनुपस्थित सदस्य – डॉ. शैलेन्द्र सराफ, डॉ. अमरकांत पाण्डेय, डॉ. रश्मि मिंज,

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01	सी.आई.टी. विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, अमनपुर, नया रायपुर (B.Sc. I Maths Group, B.Sc. I Bio Group-2014-15)	B.Sc. II Year-Maths Group-Physics, Chemistry, Math	40	2016–17	1. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला 2. डॉ. एस.के. जाधव, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला 3. प्रो. आर.एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला 4. डॉ. अमिताभ बनर्जी, प्राचार्य, शास. महा. नगरी
		B.Sc. II Year-Bio Group-Chemistry, Botany, Zoology	40	2016–17	
	निरीक्षण तिथि : 18.07.2016 – 1. बी.एस.सी. भाग–II के गणित समूह एवं बायो समूह 40–40 छात्रों के लिये सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक कक्षाओं के लिये पर्याप्त अधोसंरचना है। 2. पुस्तकायल में पुस्तके पर्याप्त हैं, कुछ पुस्तकों की और आवश्यकता होगी। 3. धारा–28 में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है।				

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	शास. नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा (B.A.LLB.-I, II - 2014-15 & 2015-16)	B.A.LLB.-III - Integrated course (Five Year)	60	2016–17	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2. डॉ. विनीता अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक, विधि, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 19.07.2016

दिनांक 19.07.2016 को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा शासकीय नवीन विध महाविद्यालय का निरीक्ष्ज्ञण कियागया समिति ने पाया कि (1) महाविद्यालय के पास वर्तमान में कक्षाओ हेतु पर्याप्त अधोसरचना है। (2) प्राचार्य द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय हेतु पृथक भवन का निर्माण ग्राम देवरी मे किया जाना प्रस्तावित है जिस पर शासकीय स्तर पर कार्यवाही चल रहा है। शासन द्वारा विधि के 5 शिक्षकों का सेट–अप विभाग हेतु स्वीकृत है। (3) महाविद्यालय में पर्याप्त पुस्तकें हैं। तृतीय वर्ष (जिसकी याचना हेतु महाविद्यालय में आवेदन किया है) उसकी पुस्तकें खरीदी जा चुकी हैं AIR Manual का सेट भी खरीदा जा चुका है। (IV) भविष्य मे Moot court की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका फर्नीचर वगैरह बनवाने की कार्यवाही चल रही है। (V) प्राचार्य द्वारा जनकारी गई कि समीप के गांवों में Legal Awareness Camp लगाना प्रस्तावित है जिसके द्वारा ग्रामीणों को लोकोपयोगी अधिनियमों की जानकारी प्रदाय की जायेगी। (VI) कोर्ट के बाहर विवादित प्रकरणों के निपटारे तथा सबधित पक्षकारो को समझाईश देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण में सहायक legal Aid Client का गठन भी महाविद्यालय द्वारा किया गया है BCI के प्रावधानों हेतु अनुसार इसका गठन कोर्ट मे लम्बित प्रकरणो की संख्या कम करने के लिए आवश्यक है। समिति अनुशंसा करती है महाविद्यालय की BALLB-III year की सम्बद्धता 2016–17 के लिए प्रदान की जा सकती है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03.	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर	LLB.-I st year	160	2016-17	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2.प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, वि.वि.प्रबधन सस्थान 3. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अ.शा.
		LLB.-IInd year		2017-18	
		LLB.- IIIrd year		2018-19	

निरीक्षण तिथि :– 25.07.2016

वि.वि. पत्र क्रमांक 1722 / अका. / सबद्धता / 2016 दिनाक 12.07.2016 के संदर्भ में LLB.-IIIrd year (2016-17, 2017-18, 2018-19) के लिये निरीक्षण किया।

1. Infrastructure पर्याप्त है। Library में पुस्तके एव जर्नल पर्याप्त है।
2. Moot Court के आधुनिकरण की आवश्यकता है।
3. Sanctioned post (07+01) के विरूद्ध केवल 04 शिक्षक कार्यरत् है अशकालिक शिक्षकों नियमानुसार Court के संदर्भ में Practical हेतु आवश्यकता।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर LLB पाठ्यक्रम को सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के लिये अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04.	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम–फरी, पो –बीजभाटा, जिला–बेमेतरा (B.B.A.-I,II, B.Com.-I,II, B.C.A.-I,II– 2012-13, 2013-14)	B.B.A.-III	30	2014–15	1. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, वि.वि. प्रबंधन संस्थान 2. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ महावि. रायपुर 3. डॉ. ए.के. तिवारी, प्राचार्य, दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर
		B.Com.-III (Compulsory Subject with Computer Application)	30		
		B.C.A.-III	30		

निरीक्षण तिथि :– 02.07.2016

वि.वि. पत्र क्रमांक 1670 / अका / 2016 दिनांक 05.07.2016 के संदर्भ में निरीक्षण किया गया।

1. BBA-IIIrd year, B.C.A.-IIIrd year & B.Com. (Computer Application) सभी 30 सीट के लिये Infrastructure पर्याप्त है।
2. B.C.A.-IIIrd year & B.Com. (C.A.) के Computer Lab-40 No. के साथ उपलब्ध है लेकिन Licence Software लेने की आवश्यकता है।
3. Library में पुस्तके छात्र / सीट सं. के अनुपात में क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
4. परिनियम 28 के तहत शिक्षक नहीं है लेकिन अन्य शिक्षक उपलब्ध है। परिनियम 28 के तहत नियुक्ति हेतु विज्ञापन एवं अन्य कार्यवाही की गई है। (संलग्न है)

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तो के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	सत गुरु घासीदास शास. स्ना. महाविद्यालय, कुरूद, जिला–धमतरी (M.Sc. Prev.- Mathematics M.A. Prev- Economics- 2015-16)	M.Sc. Final- Mathematics	20	2016–17	1. डॉ. एच.के. पाठक, आचार्य, गणित अध्ययनशाला 2. डॉ. अमिताभ बेनर्जी, शासकीय सुखराम नागे महा. नगरी–सिहावा
		M.A. Final- Economics	25	2016–17	1. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. के.के. बिन्दल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि :– 18.07.2016

आज दिनांक 18.07.2016 को M.Sc. final, Mathematics (20 Seats) एवं M.A. third Semester, Economics (25 Seats) की सत्र 2016–17 में सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया तथा निम्न तथ्य पाये गये –

1. कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. M.Sc. Maths हेतु दो अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है।
3. M.A. Eco. में वर्तमान में कोई भी शिक्षक नहीं है, अतः 2 शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है।
4. महाविद्यालय में ग्रंथागार में विषय से संबंधित पर्याप्त पुस्तकें हैं।
5. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है जिसमें स्थायी प्राचार्य नियुक्त है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
06.	शासकीय वीर सुरेन्द्रसाय महाविद्यालय, गरियाबंद	M.A. Previouse Economics	25	2016–17	1. प्रो. आर.पी. दास, प्रबंध संस्थान, प.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 3. डॉ. विनोद कुमार जोशी, डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महावि. रायपुर
	शासन का आदेश पृ. क्र. 3–35 / 2015 / 38–1 नया रायपुर, दिनांक 21.08.2015				
	निरीक्षण तिथि :– 20.07.2016 1. Building is used for collectorate purpose, So college classes are going on a school building. 2. One Assistant Professor is looing after the subject other Posts are vacant. 3. The atmosphere is not very encouraging for PG Class. 4. No. books in the library.				
	निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।				

03. परिनियम क्रमांक–14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने मानद् उपाधि समिति की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : परिनियम क्रमांक–14 **Honorary Degree** के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने के लिये पद्म विभूषण डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर आयुका, पुणे को दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामयी बाईसवां दीक्षांत–समारोह में उनकी उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र मे राष्ट्र के लिए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए डी.एस–सी. (विज्ञान संकाय) की मानद् उपाधि प्रदान करने हेतु मानद उपाधि समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

04. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016–17 से प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका के अनुसार विभिन्न विषय / पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3–33 / 2015 / 38–1 नया रायपुर, दिनांक 05.07.2016 के आदेशानुसार विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016–17 से निम्नलिखित विषय / पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि के लिए महाविद्यालयों से आवेदन प्राप्त कर, सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.	महाविद्यालयों का नाम	कक्षा/विषय	सीट वृद्धि संख्या
1	डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महावि., रायपुर, जिला–रायपुर	बी.एस.सी. (बायोलॉजी)	40
		बी.एस.सी. (गणित)	25
2	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नवापारा, जिला–रायपुर	डी.सी.ए.	10
		पी.जी.डी.सी.ए.	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	20
		बी.ए. प्रथम वर्ष	60

3	शासकीय महाविद्यालय, आरग, जिला–रायपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	50
		बी.काम. प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. गणित प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. बायो समूह प्रथम वर्ष	25
4	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवां, जिला–रायपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (बायो)	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित)	10
5	शासकीय दू.ब. महिला पी.जी. महाविद्यालय, रायपुर, जिला–रायपुर	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष	15
		एम.एस.सी. रसायशास्त्र	5
		एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	5
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	5
		एम.एस.सी. फूड एंड न्यूट्रिशन	5
		पी.जी. डिप्लोमा इन डायटेटिक्स	10
		पी.जी.डी.सी.ए.	10
		एड ऑन कोर्स इन कम्प्युटर साईंस	10
6	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर	एल.एल.एम.	10
		एम.ए. भूगोल	5
7	शासकीय दाउ कल्याण सिंह महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार	बी.ए. भाग–1	20
		बी.एस.सी. भाग 1 (बायोलाजी)	30
		बी.एस.सी. भाग 1 (गणित)	20
		बी.एसी. भाग 1 आई.टी.	3
		बी.काम. भाग 1	30
		एम.एस.सी. गणित	10
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	5
8	शासकीय महाविद्यालय, सिमगा, जिला–बलौदाबाजार	बी.ए. भाग एक	20
		बी.एसी. भाग एक बायो.	20
9	शासकीय महाविद्यालय, कसडोल, जिला–बलौदाबाजार	बी.ए. प्रथम वर्ष	40
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो समूह	30
		बी.एसी. प्रथम वर्ष गणित	30
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	10
		एम.एस.सी. गणित	15
10	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय,	बी.ए. प्रथम वर्ष	40

	भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो समूह	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	30
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	10
		एम.एस.सी. गणित	15
11	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम, जिला– गरियाबद	बी.एस.सी बायो समूह प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. गणित समूह प्रथम वर्ष	20
		बी.ए. प्रथम वर्ष	60
		बी.कॉम प्रथम वर्ष	30
12	शासकीय महाविद्यालय, छुरा जिला– गरियाबद	बी.ए. प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. बायो समूह प्रथम वर्ष	20
13	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कुरूद, जिला– धमतरी	बी.कॉम प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित	40
		एम.ए. पूर्व भूगोल	10
		एम.एस.सी. पूर्व रसायन	10
		एम.एस.सी. पूर्व भौतिकी	10
14	शासकीय महाविद्यालय, भखारा जिला–धगतरी	बी.ए. प्रथम वर्ष	5
		बी.काम. प्रथम वर्ष	5
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	5
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	5
		पी.जी.डी.सी.ए	5
		डी.सी.ए.	5
15	शास. महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी	बी.ए. प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	20
16	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी महा. महासमुंद, जिला–महासमुंद	बी.ए. प्रथम वर्ष	80
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	10
		बी.काम. प्रथम वर्ष	40
		एम.काम. प्रथम सेमेस्टर	10
		एम.एस.सी. रसायन प्रथम सेमे	5
		एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	5
		एम.ए. समाज शास्त्र प्रथम सेमे	5
		एम.एस.सी. गणित	5
		पी.जी.डी.सी.ए.	20

		डी.सी.ए.	10
17	शासकीय महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद	बी.एस.सी. बायो. प्रथम वर्ष	20
18	शासकीय महाविद्यालय सरायपाली, जिला–महासमुंद	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	15

05 यू.जी.सी. द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुवीक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना दिनांक 4 मई, 2016 अनुसार रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व इस विश्वविद्यालय से पी–एच.डी. उपाधि प्राप्त अथवा पंजीकृत उपाधि धारकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध मे विचार करना।

निर्णयः यू.जी.सी. द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुवीक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना दिनांक 4 मई, 2016 अनुसार रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व इस विश्वविद्यालय से पी–एच.डी. उपाधि प्राप्त अथवा पंजीकृत उपाधि धारको को प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई एवं प्रमाणपत्र के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

06 सत्र 2015–16 एवं 2016–17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :–

शासकीय महाविद्यालय

2015–16

1 शास. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–रायपुर
2 शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग
3 शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर, कन्या महाविद्यालय दुर्ग

2016–17

4 शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला–गरियाबद
5 शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला–रायपुर
6 नवीन शास. कालेज भखारा, जिला–धमतरी
7 डॉ. राधा बाई, शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
8 शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला– बलौदाबाजार
9 शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला–गरियाबंद
10 शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी

अशासकीय महाविद्यालय

1 ओग श्री साईं नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवां), जिला–रायपुर (छ.ग.)
2 शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर छ0ग0)
3 विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
4 कोलम्बिया कालेज, प्लाट नं.–97, ग्राम–टेकारी, पो.आ.–मांढर, जिला–रायपुर (छ.ग.) 493111
5 श्रीमती पी.जी. डागा कन्या महाविद्यालय, कचहरी चौक, रायपुर
6 सेंचुरी सिगेट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला–रायपुर (छ.ग.)
7 दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट, स्टडिज, सत्यविहार, विधान सभा, चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार, मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
8 दिशा विधि महाविद्यालय, सत्य विहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, रायपुर
9 शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांढर, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)
10 कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लाट नं. 2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

11 नवीन शारा कालेज भखारा, जिला–धमतरी
12 गुरूकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाडी, रायपुर (छ.ग.)
13 महंत लक्ष्मी नाराण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
14 विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.
15 विवेकानंद महाविद्यालय, मानसोज, व्हाया–मंदिर हसौद, जिला–रायपुर (छ.ग)
16 इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)
17 नानकचंद रोशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, जिला–रायपुर (छ.ग.) (2015–16)

निर्णय : सत्र 2015–16 एवं सत्र 2016–17 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महा. अभनपुर	PGDCA	40	2016–17	1. डॉ. अनिल तिवारी, प्राचार्य, दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर 2. डॉ. समीर ठक्कर, शासकीय नागार्जुन विज्ञान पीजी कालेज, रायपुर
		DCA	40	2016–17	
	निरीक्षण तिथि : 26.07.2016 – 1. अधोसरचना पर्याप्त है। 2. प्रयोगशाला उपलब्ध है। (कम्प्यूटर प्रयोगशाला **PGDCA/DCA** हेतु) 3. कालेज में कुल 25 कम्प्युटर उपलब्ध है। 4. 05 कम्प्यूटर की आवश्यकता है। 5. बीस हजार रुपये (20,000=00) की कम्प्यूटर से संबंधित किताबें क्रय किए जाने की आवश्यकता है। 6. नए कोर्स हेतु दो शिक्षकों एवं एक प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जावे।				
	निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।				

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 1851 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2016 रायपुर, दिनांक: 28/07/2016

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. सन्धू
सचिव
Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu
MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

D.O.F.No.1-100/2016(MOOCs/e-content) 27th July, 2016

Dear Sir/Madam,

The University Grants Commission has been asked by the Ministry of Human Resource Development, Government of India vide its letter No. F.8-26/2014-TEL dated 21st July, 2016 to upload the List of MOOCs Courses which are proposed to be launched in August, 2016. The same has been uploaded on UGC website i.e. www.ugc.ac.in.

It is pertinent to mention here that the University Grants Commission has also notified *UGC (Credit Framework for Online Learning Courses through SWAYAM) Regulation, 2016* in the Gazette of India on 19th July, 2016 wherein credit transfer for online courses under SWAYAM platform of Government of India has been defined. The Regulations are also available on UGC website.

You are requested to kindly peruse the List of MOOCs Courses and UGC Regulations from UGC website and take appropriate action for introduction of MOOCs courses through SWAYAM platform of Government of India for the benefit of the students of your esteemed University and affiliated Colleges after approval of the various academic bodies of your University.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Jaspal S. Sandhu)

The Vice-Chancellor
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur-492 010
Chhattisgarh.

प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. संधु
सचिव
Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu
MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph: 011-23239337, 23236288
Fax: 011-23238858, email: jssandhu.ugc@nic.in

D.O.F.No.1-100/2016(MOOCs/e-content) 27th July, 2016

Dear Sir/Madam,

The University Grants Commission has been asked by the Ministry of Human Resource Development, Government of India vide its letter No. F.8-26/2014-TEL dated 21st July, 2016 to upload the List of MOOCs Courses which are proposed to be launched in August, 2016. The same has been uploaded on UGC website i.e. www.ugc.ac.in.

It is pertinent to mention here that the University Grants Commission has also notified *UGC (Credit Framework for Online Learning Courses through SWAYAM) Regulation, 2016* in the Gazette of India on 19th July, 2016 wherein credit transfer for online courses under SWAYAM platform of Government of India has been defined. The Regulations are also available on UGC website.

You are requested to kindly peruse the List of MOOCs Courses and UGC Regulations from UGC website and take appropriate action for introduction of MOOCs courses through SWAYAM platform of Government of India for the benefit of the students of your esteemed University and affiliated Colleges after approval of the various academic bodies of your University.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Jaspal S. Sandhu)

The Vice-Chancellor of all Universities

Copy to:

(i) Mr. R. Subrahmanyam, IAS, Additional Secretary (TEL), Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi - 110 115.
(ii) Publication Officer, UGC for uploading on UGC website.

(Jaspal S. Sandhu)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2016/आषाढ़ 29, 1938
No. 295] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2016/ASADHA 29, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम, 2016

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2016

मि0 सं0 1–100/2016/मूक्स(ई–कॉटेंट) 1. प्रस्तावना.—

1.1 जबकि शिक्षा के प्रसार हेतु उच्चतर शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाया जाना तथा प्रौद्योगिकी मे हुई प्रगति का उपयोग कर तत्संबंधी लागत को कम करना है,

1.2 जबकि पारम्परिक एवं ऑनलाइन शिक्षा सहित, शिक्षा प्रदान करने के लिए बृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) एक व्यावहारिक मॉडल के रूप में उभरे हैं,

1.3 जबकि ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन के भारतीय स्वरूप "स्वयं" (युवा एवं उच्चाकांक्षी बौद्धिकों के लिए सक्रिय ज्ञान–अर्जन की अध्ययन पद्धति) को ज्ञान–अर्जन के स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर आरंभ किया जा रहा है।

1.4 जबकि ई–ज्ञान अर्जन की कहीं–भी, कभी–भी पद्धति तथा पारंपरिक और कक्षागत चॉक–एंड–टॉक अध्यापन पद्धति के बीच तालमेल बिठाने की आवश्यकता है ताकि एक अनुपम विषयवस्तु अंतरण प्रणाली को विकसित किया जा सके जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भौगोलिक सीमाओं से इतर ज्ञान का निर्बाध अंतरण सुनिश्चित कर सके।

1.5 जबकि एक ऐसी विनियामक प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन तथा सामान्य कक्षागत ज्ञान–अर्जन के बीच निर्बाध संबंध स्थापित किया जा सके।

अतः अब,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) की धारा 26 की उप–धारा(1) के खण्ड (च) और (छ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवत विनियम बनाता है, नामत

2. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:

2.1 इन विनियमों को **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम, 2016** कहा जाएगा।

2.2 यह विनियम किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य/संघशासित प्रदेश अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित और निगमित सभी विश्वविद्यालयों तथा ऐसे विश्वविद्यालयों से मान्यताप्राप्त सभी संस्थानों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत ऐसे सभी समविश्वविद्यालय संस्थानों पर लागू होंगे।

2.3 यह विनियम ऐसे छात्रों के क्रेडिट अंतरण पर भी लागू होंगे जिन्होंने देश में किसी भी शैक्षिक संस्थान में एक नियमित/अंशकालिक छात्र के रूप नामांकन प्राप्त किया है।

2.4 यह विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

3.1 'शैक्षिक परिषद' एक निकाय होता है जिसे 'स्वयं' के माध्यम से अनुमेय ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेने सहित किसी संस्थान में सभी शैक्षिक मामलों के संबंध में भी निर्णय लेने हेतु शक्ति प्राप्त होती है।

3.2 'पाठ्यक्रम' का अभिप्राय एक पत्र से होगा जिसे विषय के भाग के रूप में कम से कम एक सेमेस्टर तक पढ़ाया जाएगा।

3.3 'चतुर्षदीय पद्धति' चतुर्षदीय पद्धति का अभिप्राय एक ई–ज्ञान अर्जन प्रणाली से है जिसके निम्नवत घटक हों

- प्रथम पद एक ई–अनुशिक्षण है जिसमें एक सुव्यवस्थित रूप में दृश्य–श्रव्य विषयवस्तु, एनीमेशन फिल्में, सिम्युलेशन, वर्चुअल लैब अंतर्विष्ट हैं।
- द्वितीय पद एक ई–विषयवस्तु है जिसमे जहा–कहीं भी आवश्यक हों, पीडीएफ, ई–पुस्तकें, दृष्टांत, वीडियो प्रदर्शन, दस्तावेज और इंटरेक्टिव सिम्युलेशन अंतर्विष्ट हैं।
- तृतीय पद एक वेब–संसाधन है जिसमें विषय से संबंधित लिंक, इंटरनेट पर मुक्त वस्तुविषय, मामला अध्ययन, उपाख्यान संबंधी जानकारी, विषयों तथा लेखों का क्रमिक विकास अंतर्विष्ट हैं।
- चतुर्थ पद एक स्व–मूल्यांकन पद्धति है जिसमे बहु विकल्प प्रश्न (एमसीक्यू), समस्या, प्रश्नोत्तरी, निर्दिष्ट कार्य एवं उनके हल, चर्चा हेतु मंच के विषय तथा बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू), सामान्य भ्रान्तियों के संबंध मे स्पष्टीकरण अंतर्विष्ट हैं।

3.4 'मेजबान संस्थान' का अभिप्राय उस संस्थान से है जिससे पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाला मुख्य अन्वेषक (पीआई)/विषय विशेषज्ञ (एसएमई) संबद्ध है तथा जिसे विनियामक प्राधिकरण द्वारा विधिवत् रूप से मान्यता प्रदान की गई है/अनुमोदित किया गया है।

3.5 'संस्थान' का अभिप्राय देश मे पंजीकृत तथा कार्य प्रचालन करने वाले किसी शिक्षा संस्थान से है।

3.6 'वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम' (एमओओसी) ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं जो यहा उल्लिखित चतुर्षदीय शिक्षणशास्त्रीय पद्धति के अनुरूप विकसित किये गये हैं तथा भारत सरकार के 'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराये गए हैं।

3.7 'वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम' (एमओओसी) संबंधी दिशानिर्देशों का अभिप्राय ऑनलाइन–ज्ञानअर्जन के विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 11 मार्च, 2016 के दिशानिर्देशों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किये गये तत्सबधी उत्तरवर्ती अनुबंधों से है।

3.8 'राष्ट्रीय वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता' (एनएमसी) भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट ऐसी एक राष्ट्रीय स्तरीय एजेन्सी है जिसका उद्देश्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमो को तैयार करने संबंधी कार्य का समन्वय करना तथा ज्ञान अर्जन के एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उनकी गुणवत्ता की निगरानी करना है।

3.9 'मूल संस्थान' का अभिप्राय उस संस्थान/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से है जहां पर छात्र एक नियमित/अंशकालिक छात्र के रूप में नामांकित है।

3.10 'प्रधान अन्वेषक' (पीआई) प्रधान अन्वेषक किसी प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान से एक विषयवस्तु विशेषज्ञ (एसएमई) होगा जिसे एनएमसी द्वारा दिए गए किसी विशिष्ट क्षेत्र में वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) विकसित करने तथा पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया हो।

3.11 'क्षेत्र' का अभिप्राय ज्ञान अर्जन के एक विशिष्ट स्तर जैसे कि माध्यमिक विद्यालय, अभियांत्रिकी/अभियांत्रिकी से इतर डिप्लोमा/उपाधि/स्नातकोत्तर स्तर से है।

3.12 'विषय' का अभिप्राय शिक्षा संस्थान में पढाई जा रही एक ऐसी विधा से है (जैसे–गणित) जिसमें विशिष्ट पाठ्यक्रम मौजूद हैं तथा जिनमें परिणामत प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उपाधि प्रदान की जाती है।

3.13 'स्वयं–मंच' मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया तथा चलाया जा रहा एक ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) पद्धति पर ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों की पेशकश करना है।

4. ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रम:

4.1 मेजबान संस्थान के माध्यम से राष्ट्रीय वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई अनुसूची के अनुरूप विहित पीआई द्वारा 'स्वयं' के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे।

4.2 'स्वयं' प्रतिवर्ष 01 जून तथा 01 नवम्बर को, संस्थानों की सभी कुल सचिवों को आगामी सेमेस्टर मे पेशकश किए जा रहे पर ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों के संबंध में जानकारी मुहैया कराएगा।

4.3 सभी संस्थान 'स्वयं' द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से 'स्वयं' के प्लेटफॉर्म द्वारा पेशकश किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर विचार करेगी तथा अपनी शिक्षा संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन पाठ्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेगा जिन्हे वह क्रेडिट अंतरण की अनुमति प्रदान करेगा।

बशर्ते कोई भी संस्थान किसी एक सेमेस्टर मे किसी विशिष्ट कार्यक्रम मे पेशकश किए जा रहे कुल पाठ्यक्रमों के 20 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को ही 'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर आनलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेशकश करने की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

4.4 यह निर्णय लेते हुए, विद्या परिषद, *अन्य बातों के साथ–साथ* स्वयं के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर सकती है, यदि

क) संस्थान में किसी पाठ्यक्रम को चलाने के लिए उपयुक्त शिक्षण कर्मचारिवृंदों की अनुपलब्धता हो अथवा
ख) छात्रों के इच्छित वैकल्पिक पत्र (पाठ्यक्रमों) की पेशकश करने के लिए सुविधाएं संस्थान में उपलब्ध नहीं हों परंतु वे 'स्वयं' के मंच पर उपलब्ध हों।
ग) 'स्वयं' के माध्यम द्वारा पेशकश किए गए पाठ्यक्रम, संस्थान की शिक्षण–ज्ञान अर्जन प्रक्रिया को लाभ पहुंचायेंगे।

4.5 संस्थान की कक्षा में प्रत्येक ऐसा छात्र जिसने किसी विशिष्ट पत्र (पाठ्यक्रम) का चुनाव किया हो उसे उस पाठ्यक्रम/पत्र हेतु वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) के लिए पंजीकरण कराना अपेक्षित होगा।

4.6 'स्वयं' के माध्यम से पेशकश किए जा रहे ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों को स्वीकृति देते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाठ्यक्रमों को चालू रखने के लिए मूल संस्थान द्वारा अनिवार्य वास्तविक सुविधाएं यथा प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर सुविधाएं, पुस्तकालय आदि निशुल्क तथा पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध कराई जाएंगी।

4.7 मूल संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के दौरान छात्र को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा प्रयोगशाला/क्रियात्मक सत्रों/परीक्षा को सुविधापूर्ण ढंग से आयोजित करवाने के लिए एक पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता/सुविधा प्रदाता को नियुक्त किया जाए।

5. वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण

5.1 मेजबान संस्थान और प्रधान अन्वेषक (पीआई) उनके द्वारा आरंभ किए गए वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) हेतु पंजीकृत छात्रों के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होंगे।

5.2 मूल्यांकन पूर्व–निर्धारित मानदंडों तथा मानकों पर आधारित होंगे तथा पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट साधनों जैसे चर्चा, मंच, प्रश्नोत्तरी, निर्दिष्ट कार्य, सत्रीय परीक्षाओ और अन्तिम परीक्षाओं के माध्यम से व्यापक मूल्यांकन पर आधारित होंगे।

5.3 जबकि परीक्षा हेतु ऑनलाइन पद्धति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तथापि, प्रधान अन्वेषक (पीआई) अन्तिम परीक्षा को संचालित करने की पद्धति पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत होगा। पाठ्यक्रम को पेशकश किए जाने के समय पाठ्यक्रम की विवरणिका में इस संबंध में घोषणा की जाएगी।

5.4 यदि अन्तिम परीक्षा लिखित में संचालित की जाती है तो इसे आयोजित करने हेतु इच्छुक किसी महाविद्यालय/विद्यालय के माध्यम से आयोजित करवाया जाना चाहिए। इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रधान अन्वेषक (पीआई) तथा मेजबान संस्थान द्वारा लिया जाएगा।

5.5 परीक्षा संचालित करवाने तथा मूल्यांकन पूर्ण किए जाने के पश्चात मेजबान संस्थान के माध्यम से प्रधान अन्वेषक (पीआई) घोषित की गई मूल्यांकन योजना के अनुसार अंक/ग्रेड प्रदान करेगा।

5.6 अन्तिम परीक्षा के समापन की तिथि से चार सप्ताह के भीतर छात्र के साथ–साथ उनके मूल संस्थान को अन्तिम अंक/ग्रेड की जानकारी भेजी जाएगी।

5.7 मूल संस्थान 'स्वयं' पाठ्यक्रम के प्रधान अन्वेषक (पीआई) द्वारा मेजबान संस्थान के माध्यम से छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक/ग्रेड को छात्र की अंक तालिका मे शामिल करेगा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम रूप से उपाधि/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए गणना की जाती है, बशर्ते कि जिन कार्यक्रमों में प्रयोगशाला/प्रयोगात्मक घटक सम्मिलित हों, तो मूल संस्थान, प्रयोगात्मक/प्रयोगशाला घटक हेतु छात्रों का मूल्यांकन करेगा और तदनुसार इनमें प्राप्त अंकों/ग्रेडों को समग्र अंको/ग्रेड में सम्मिलित करेगा।

5.8 वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के संबध मे प्रमाणपत्र पर प्रधान अन्वेषक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगे तथा इन्हे मेजबान संस्थान द्वारा जारी किया जाएगा और मूल संस्थान को भेजा जाएगा।

6. एमओओसी की क्रेडिट मोबिलिटी

6.1 'स्वयं' प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों द्वारा ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित किए गए क्रेडिट के लिए मूल संस्थान छात्रों को समकक्ष क्रेडिट प्रदान करेगा।

6.2 कोई भी विश्वविद्यालय वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) के माध्यम से अर्जित क्रेडिट की मोबिलिटी के लिए किसी भी छात्र को इंकार नहीं करेगा।

7. वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी)के अबाधित समेकन हेतु विश्वविद्यालय के नियमों तथा विनियमों मे किए जाने वाले अपेक्षित संशोधन

7.1 प्रत्येक संस्थान, इन विनियमो को जारी किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अपने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से अपने अध्यादेशों, नियमो, विनियमो आदि मे किए जाने वाले अपेक्षित संशोधनों के बारे में निर्णय लेगा ताकि इन विनियमों के उपबंधों को उनमें सम्मिलित किया जा सके।

8 अनंतिम उपाय

8.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तीन वर्ष के इस अवस्थान्तरणीय काल के दौरान इन विनियमों के कार्यान्वयन के समक्ष आने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन करेगा।

प्रो. जगपाल एस सन्धू, सचिव, यूजीसी

[विज्ञापन–III/4/असा/182 (113)]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

UGC (Credit Framework for Online Learning Courses through SWAYAM) Regulation, 2016.

New Delhi, the 19th July, 2016

No. F.1-100/2016(MOOCs/e-content) 1. Preamble.—

1.1 Whereas Education has to widen the access to higher education and bring down its cost by using technological advances,

1.2 Whereas Massive Open Online Courses (MOOCs) have emerged as a viable model for imparting education, involving conventional and online education,

1.3 Whereas the Indian version of online learning is being launched on an indigenous platform of learning, named as SWAYAM (Study Web of Active Learning by Young and Aspiring Minds),

1.4 Whereas there is a need to create synergies between the salient features of anytime-anywhere format of e-Learning and the traditional classroom-based chalk and talk method to develop a unique content delivery mechanism, which is responsive to learners' needs and ensures seamless transfer of knowledge across geographical boundaries,

1.5 Whereas there is a need to put in place a regulatory mechanism that would allow seamless connect between the online learning and the regular class room learning.

Now therefore:

University Grants Commission in exercise of the powers conferred by clause (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of the UGC Act 1956 (No. 3 of 1956), makes the following Regulations, namely;

2. Short title, Application and Commencement:

2.1 These Regulations shall be called the **UGC (Credit Framework for online learning courses through SWAYAM) Regulation 2016**.

2.2 These shall apply to all universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State/Union Territory Act and all institutions recognized by or affiliated to such Universities and all institutions deemed to be universities under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2.3 These shall further apply to the transfer of credits of such students who are enrolled as regular/part-time students in any educational institution in India.

2.4 These shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

3. Definitions:

3.1 'Academic Council' is the body empowered to take decisions regarding all academic matters in an institution including the decision regarding permitting online learning courses through SWAYAM.

3.2 'Course' shall mean a paper which is taught for at least one semester as a part of a subject.

3.3 'Four quadrant approach': the four Quadrant approach means e-learning system that has the following components:

- Quadrant-I is e-Tutorial: that shall contain: Video and Audio Contentinan organised form, Animation, Simulations,Virtual Labs.
- Quadrant-II is e-Content: that shall contain: PDF/e-Books/illustration, video demonstrations, documents and Interactive simulations wherever required.
- Quadrant-III is Web Resources: that shall contain: Related Links, Open Content on Internet, Case Studies, An ecdotalin formation, Historical development of the subject, Articles.
- Quadrant-IV is Self-Assessment : that shall contain: MCQ, Problems, Quizzes, Assignments and solutions, Discussion forum topics and setting up the FAQ, Clarifications on general misconceptions.

3.4 'Host Institution' shall mean the institution duly recognised/approved by the regulating authority, to which the PI/SME offering the course belongs.

(15)

3.5 'Institution' shall mean any academic institution registered and functioning in India.

3.6 'MOOCs': Massive Open Online Courses (MOOCs) are such online courses which are developed as per the pedagogy stated herein; following the four quadrant approach and made available on the SWAYAM platform of Government of India.

3.7 'MOOCs Guidelines' shall mean guidelines on online learning issued by the MHRD vide its orders dated 11th March 2016 and subsequent addendums issued by the MHRD.

3.8 'National MOOCs Coordinator' (NMC) is a Nation level agency designated as such by the Government, for the purpose of coordinating the production of the online courses and for overseeing their quality in a designated sector of learning.

3.9 'Parent Institution' shall mean the institution/university/college where the student is enrolled as a regular/part-time student.

3.10 'Principal Investigator (PI)': The PI shall be a Subject Matter Expert (SME) belonging to a reputed educational institution, identified and entrusted with the task of developing and delivering MOOCs in a given area by the NMC.

3.11 'Sector' shall mean a particular level of learning such as high school, engineering/non-engineering diploma/degree/post-graduation.

3.12 'Subject' shall mean a discipline (eg Mathematics) taught in an educational institution consisting of specific courses, resulting in awarding of a certificate/diploma/degree.

3.13 'SWAYAM platform' is an IT platform developed and made functional by the Ministry of Human Resource Development of Government of India for the purpose of offering online learning courses on the MOOCs pattern.

4. Online learning courses

4.1. The online learning courses shall be made available on the SWAYAM Platform by the PI identified by the National MOOCs Coordinator, through the Host Institution, as per the schedule finalised by him/her.

4.2. The SWAYAM shall notify to the Registrars of all the Institutions, on 1st June and 1st November every year, the list of the online learning Courses going to be offered in the forthcoming Semester.

4.3. All the Institutions shall, within 4 weeks from the date of notification by SWAYAM, consider through their Competent Authoritythe online learning courses being offered through the SWAYAM platform: and keeping in view their academic requirements,decide uponthe courses which it shall permit for credit transfer.

Provided that an Institution can only allow up to 20% of the total courses being offered in a particular program in a Semester through the online learning courses provided through SWAYAM platform.

4.4. While making this decision, the Academic Council may, *interalia*, consider allowing online courses of SWAYAM if:

a) There is non-availability of suitable teaching staff for running a course in the Institution or
b) The facilities for offering the elective papers (courses), sought for by the students are not on offer in the Institution, but are available on the SWAYAM platform.
c) The courses offered on SWAYAM would supplement the teaching-learning process in the Institution.

4.5 Every student,in the class of the institution,offering a particular paper (course) would be required to register for the MOOCs for that course/paper.

4.6 While allowing the online learning Courses offered by SWAYAM, it shall be ensured that the physical facilities like Laboratories, computer facilities, library etc, essential for pursuing the courses shall be made available free and in adequate measure by the parent institution.

4.7 The parent institution must designate a course coordinator/facilitator to guide the students throughout the course and to facilitate/conduct the Lab/Practical sessions/examinations.

5. Evaluation and Certification of MOOCs

5.1. The host institution and the PI shall be responsible for evaluating the students registered for the MOOCs course launched by him/her.

5.2. The evaluation should be based on predefined norms and parameters and shall be based on a comprehensive evaluation throughout the length and breadth of course based on specified instruments like discussions, forums,quizzes, assignments, sessional examinations and final examination.

5.3. Whereas an online examination would be the preferred mode, the PI shall be authorised to decide on the mode of conducting the final examination. This shall be announced in the overview of the Course at the time of offering the course.

5.4. In case, apen and paper final examination is to be conducted, the same shall be offered through any college/school volunteering to conduct the same. The decision in this respect will be of the PI and the host institution.

5.5. After conduct of the examination and completion of the evaluation, the PI through the host institution shall award marks/grade as per the evaluation scheme announced.

5.6. The final marks/grade shall be communicated to the students as well as the parent institution of the student, within 4 weeks from the date of completion of the final examination.

5.7. The parent Institution shall, incorporate the marks/grade obtained by the student, as communicated by the Host Institution through the PI of the SWAYAM course in the marks sheet of the student that counts for final award of the degree/diploma by the University with the proviso that the programs in which Lab/Practical Component is involved, the parent institution will evaluate the students for the practical/Lab component and accordingly incorporate these marks/grade in the overall marks/grade

5.8. A certificate regarding successful completion of the MOOCs course shall be signed by the PI and issued through the Host Institution and sent to the Parent Institution.

6. Credit Mobility of MOOCs

6.1. The parent Institution shall give the equivalent credit weightage to the students for the credits earned through online learning courses through SWAYAM platform in the credit plan of the program.

6.2. No university shall refuse any student for credit mobility for the courses earned through MOOCs.

7. Amendment required in University Rules and Regulations for Seamless Integration of MOOCs

7.1 Every Institution, shall within 4 weeks from the date of issue of these Regulations, shall decide through their Competent Authority, the amendments required in their Ordinances, Rules, Regulations etc to incorporate provisions of these Regulation.

8. Transitory Measures

8.1 The UGC shall notify a Standing committee to resolve any issues that may arise in the implementation of these regulations during the transition period of three years.

Prof. JASPAL S. SANDHU, Secy. UGC

[ADVT.-III/4/Exty./182 (113)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ADDITIONAL STATUTE No....1

CONVOCATION

(Refer Section 35 (f))

	Existing Provisions	Proposed Corrections	Justification
1	Convocation for the purpose of conferring Post- Graduate Degrees and making awards shall ordinarily be held every year in the month of December at the Head Quarters of the University and shall be called Annual Convocation. A special Convocation may also be held at such time as may be found necessary or convenient. The actual date of the Convocation in each case shall be fixed by the Kulapati with the approval of the Kuladhipati.	Convocation for the purpose of conferring Degrees and making awards shall ordinarily be held every year preferably, in the month of December and at the Head Quarters of the University and shall be called Annual Convocation. A special Convocation may also be held at such time as may be found necessary or convenient. The actual date of the Convocation in each case shall be fixed by the Kulapati with the prior approval of the Kuladhipati.	Provisions made in the light of UGC. Regulations – 2008.
2	Ordinarily not less than four weeks notice shall be given by the Registrar for holding a Convocation. This period may however, be reduced to ten days in the case of special convocation or in any other case where such a course is considered expedient by the Kulapati.	Ordinarily not less than 30 days notice shall be given by the Registrar for holding Convocation. This period may however, be reduced to ten days in the case of special convocation or in any other case where such a course is considered expedient by the Kulapati.	
3	The candidates desiring to receive Degree in person must apply to the Registrar 15 clear days before the day fixed for the Convocation in the prescribed form together with a fee of Rs. 5/- intimating their intention to be present at the convocation. Provided that the Kulapati may in special cases permit the receipt of late applications up to seven days before the date of convocation if such applications are accompanied by a late fee or Rs. 5.00.	The candidates desiring to receive Ph.D. or Higher degree and medal in person must apply to the Registrar 30 clear days before the day fixed for the Convocation in the prescribed Application form together with the fees as decided by the University time to time, provided that the Kulapati may in Special cases permit the receipt of late application up to 7 days before the day of the convocation if such applications are accompanied by a late fees as decided by the University from time to time.	
4	Such candidates as are unable to present themselves in person at the convocation may apply for receiving their degrees in absentia in the prescribed form one month after the date of convocation along with a fee Rs. 10/- and postal charges of Rs. 3/-.	The candidates who are unable to present themselves in person at the convocation, their degree certificates will be sent to the respective study centre/ colleges within 60 days of convocation. The Degree certificates of other then Ph.D. or Higher Degree will be sent to the respective colleges within 180 days of	

		declaration of their results. The students will pay the fees for the degree certificate with of their final year examination fees.	
5	Every degree shall bear the signature of the Kulapati. The date on the degrees, whether to be awarded at the convocation or otherwise, will be the same as the date of the University Convocation.	The Ph.D. degree shall bear the signature of the Kulapati and the date on the degree will be as the date of the notification of respective student. The degrees other then Ph.D. Degree shall bear the scanned signature of the Kulapati. The date on the degree will be same as the date of declaration of their results by the university.	
6	The Kuladhipati, Kulapati, Deans of Faculties, Members of the Executive Council, Academic Council, Court and the Registrar shall wear the academic. Costumes of the University of which they are Graduates or the Gowns or any other costumes prescribed by the Executive Council.	The Kuladhipati, the Chief Guest, the Chief Minister, the Education Minister, Other Guests of honour, Kulapati, Dean of Faculties, Members of the Executive Council, Academic Council and the Registrar shall wear the academic costumes of the University of which they are Graduates or the Gowns or any other costumes prescribed by the Executive Council time to time.	
7	Candidates the Convocation shall put on the Academic Robe prescribed by the Executive Council and no candidate shall be admitted to the Convocation without the Academic Robe prescribed by the University.	Candidates for the Convocation shall put on the Academic Robe prescribed by the Executive Council and no candidate shall be admitted to the Convocation without the Academic Robe prescribed by the University.	
8	Degree will be distributed to the candidates attending the convocation at the place, time and day specified by notification before or after the convocation as decided by the University.	Ph.D. Degree and Gold medal will be distributed to the candidates attending the convocation at the place, time and day specified by notification before or after the convocation as decided by the University.	
9	The Kuladhipati, the Kulapati, the Deans of the Faculties, Members of Court, Executive Council and Academic Council and the Registrar shall assemble at a place notified, at the appointed hour and shall walk in procession in the following order to the convocation ground: 1. The Registrar. 2. Members of the Academic Council. 3. Members of the Court.	The Kuladhipati, the Chief Guest, the Chief Minister, the Education Minister, other Guests of honour, Kulapati, Dean of Faculties, Members of the Executive Council, Academic Council and the Registrar shall assemble at a place notified, at the appointed hour and shall walk in procession in the following order to the convocation ground: 1. The Registrar. 2. Members of the Academic Council.	

	4. Members of the Executive Council. 5. Deans of Faculties. 6. The Kulapati. 7. The Chief Guest, if any. 8. The Kuladhipati.	3. Members of the Executive Council. 4. Deans of Faculties. 5. The Kulapati. 6. Guest of Honour 7. The Education Minister 8. The Chief Minister 9. The Chief Guest 10. The Kuladhipati.
10	The Kuladhipati, the Chief Guest, the Kulapati, the chief Minister, the Education Minister, Deans of the faculties, members of the Exacutive Council, the Registrar and such other persons named by the Executive Council shall take their seats on the dias and the members of the Court and the Academic Council on both sides of the dias in places reserved for them.	The Kuladhipati, the Chief Guest, the chief Minister, the Education Minister, other Guests of honour, Kulapati, Dean of the faculties, Members of the Executive Council, the Registrar and such other persons named by the Executive Council shall take their seats on the dais and the members of the Academic Council in places reserved for them.
11	The candidates present at the Convocation shall take their seats at the places reserved for them before the procession enters in the Convocation Pandal. As the procession enters the Convocation Pandal, all those present shall rise and remain Standing until the members of the procession have taken their respective seats.	The candidates present at the Convocation shall take their seats at the places reserved for them before the procession enters in the Convocation Pandal. As the procession enters the Convocation Pandal, all those present shall rise and remain Standing until the members of the procession have taken their respective seats.
12	The Registrar shall declare the convocation open with the permission of the Kuladhipati or in his absence with the permission of the Kulapati. On a request from the Kulapati, the Kuladhipati and in the absence of the Kuladhipati the Kulapati will permit the candidates to be presented. The following shall be the order of the presentation: 1. Honorary Degrees, if any. 2. D. Litt. 3. D. Sc. 4. Ph.D. 5. LL.D. 6. All Post- graduations.	The Registrar shall declare the convocation open with the permission of the Kuladhipati or in his absence with the permission of the Kulapati. On a request from the Kulapati, the Kuladhipati and in the absence of the Kuladhipati the Kulapati will permit the candidates to be presented. The following shall be the order of the presentation: 1. Honorary Degrees 2. LL.D. 3. D. Litt. 4. D. Sc. 5. Ph.D.

	Degree in the following Faculties; 1. Faculty of Arts. 2. Faculty of Social Science. 3. Faculty of Science. 4. Faculty of Life Science. 5. Faculty of Engineering. 6. Faculty of Law. 7. Faculty of Commerce. 8. Faculty of Education. 9. Faculty of Physical Education. 10. Faculty of Home Science. 11. Faculty of Technology. 12. Faculty of Ayurved. 13. Faculty of Medicine.	*Degree in the following Faculties;* 1. Faculty of Arts. 2. Faculty of Social Science. 3. Faculty of Science. 4. Faculty of Life Science. 5. Faculty of Law. 6. Faculty of Commerce. 7. Faculty of Education. 8. Faculty of Physical Education. 9. Faculty of Home Science. 10. Faculty of Technology. 11. Faculty of Management Studies and other Faculties approved by the University
13	The Deans of their Respective Faculties shall present all the candidates for various degree under the Faculty and the Kulapati shall admit the candidates present also in absentia to the Degree concerned. The citation for the Deans of the Faculty and the Kulapati shall be as prescribed by Executive Council. Recipients of the Degree shall remain standing while the Dean and the Kulapati admit the candidates to the Degree.	The Deans of their Respective Faculty shall present all the candidates for various degrees under the Faculty and the Kulapati shall admit the candidates present also in absentia to the Degree concerned. The citation for the Deans of the Faculty and the Kulapati shall be as prescribed by Executive Council. Recipients of the Degree shall remain standing while the Dean and the Kulapati admit the candidates to the Degree.
14	In the case of conferment of Honorary Degrees the citation admitting the recipient to Degree may be modified the Kuladhipati in a suitable manner. After the degrees have been conform the Registrar shall declare the number of the Degrees/Diplomas that have been conferred on Regular and Private candidates present at the convocation and also in absentia.	In the case of conferment of Honorary Degrees the citation admitting the recipient to Degree may be modified by the Kuladhipati in a suitable manner. After the degrees have been conferred the Registrar shall declare the number of the Degrees/Diplomas that have been conferred on Regular and Private candidates present at the convocation and also in absentia.
15	The Kuladhipati or in his absence the Kulapati shall then present the Medals and Prizes to recipients of the Medals and Prizes who shall be called individually by the Registrar and shall stand before the Kuladhipati or the Kulapati as the case may be. The	The Kuladhipati and other guests on the dais shall then present the Medals and Prizes to recipients of the Medals and Prizes who shall be called individually by the Registrar and shall stand before the guests on the dais to receive medals/prizes.

	names of the recipients shall be read out by the Registrar.	
16	The Kuladhipati or in his absence the Kulapati shall then request the Chief Guest to address the Convocation.	The Kulapati shall then request the Chief Guest to address the Convocation.
17	The Convocation address will thereafter be delivered, The Registrar, with the permission the Kuladhipati and in his absence with the permission of the Kulapati, will then declare the convocation closed and the procession will leave the Convocation hall. All shall remain standing till the procession moves out of the arena.	The Convocation address will thereafter be delivered, The Registrar, with the permission the Kuladhipati or in his absence with the permission of the Kulapati, will then declare the convocation closed and the procession will leave the Convocation hall. All shall remain standing till the procession moves out of the arena.
18	Not withstanding anything contained in the Statute the Kuladhipati may suspend holding of Annual Convocation or Convocations. In such case the Degrees will be sent to the candidates duly sign by the Kulapati at their addresses. The Registrar shall notify the suspension of the Convocation and invite applications from the candidates who desire to take the degree and shall fix the last date for receipt such application. The Degrees will be sent to those candidates who have applied for obtaining the Degree on payment of prescribed fee. The Candidates who do not apply within due date for obtaining degree shall be given degrees as in the case of those absent and the fee fixed for degree in absentia shall charged. The dates on such Degree shall be the date fixed by the Kulapati on the recommendation of the Standing Committee of the Academic Council.	DELETED
	(Approved by the Coordination Committee at its meeting held on 6th Jan.....1978).	Corrections recommended by the committee constituted for this propose meeting held on 28 June 2016, Committee Constituted by the Pt. Ravishankar shukla University Raipur (C.G.) by its Notification No. 1006/Upadhi/2016 Raipur, dt. 25.06.2016.

(Dr. S. Saraf) Dean, Technology

(Dr. A.K. Pandey) Dean, Social Science

(Dr. A.K. Gupta) H.O.D. Life Science

(7)

22

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई–दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05 मई 2016 (विनियम–2016) – एम.फिल./पी–एच.डी. उपाधि न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया तथा वर्तमान में प्रचलित अध्यादेश–45 में निम्नलिखित प्रावधान ध्यानोग्य है :–

क्रमांक	यू.जी.सी. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 मई, 2016 रेगुलेशन 2016	पी–एच.डी. संबंधी अध्यादेश–45
01	2.2 पी–एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 प्रतिशत छूट	3 (a) प्रवेश परीक्षा में अनु.जाति एवं अनु. जनजाति को 5 प्रतिशत छूट
02	4.2 पी–एच.डी. पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी।	10. Tenure of Ph.D.Work पी–एच.डी. हेतु न्यूनतम 2 वर्ष तथा अधिकतम 4 वर्ष होगी।
03	4.4 महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति के लिये अधिकतम 2 वर्ष की छूट तथा इसके अतिरिक्त एम.फिल./पी–एच.डी. की समग्र अवधि में 240 दिनों का मातृत्व अवकाश।	कोई प्रावधान नहीं।
04	5.2.3 राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथास्थिति अनुपालन हो।	4 का पैरा 6 – DRC will pay due attention to the national/state reservation policy. तद्नुसार शोध निर्देशक को इकाई माना गया है तथा प्रत्येक शोध निर्देशक के अधीन अ.ज.जा–02, अ.जा.–01, अन्य.पि.वर्ग–01 तथा अनारक्षित–02 सीट निर्धारित किया गया है।
05	9.4 शोधार्थी को शोध प्रबंध प्रस्तुत करते समय एक शोध पत्र का प्रकाशन तथा संगोष्ठियों में दो शोध पत्र प्रस्तुत होना चाहिये।	13 (b) एक शोध पत्र का प्रकाशन

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

23

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2016/आषाढ़ 14, 1938
No. 278] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2016/ASADHA 14, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016

{11 से 17 जुलाई, 2009 के सप्ताह में भारत के राजपत्र (संख्या 28, भाग—III, धारा—4) में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/ पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के प्रतिस्थापन में}

मि0 सं. 1–2/2009 (ई0 सी0/पी0 एस0) V (I) Vol. II.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956(1956 का 3) की धारा 26 की उप–धारा (1) तथा खंड (च) और (छ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों तथा 11 से 17 जुलाई, 2009 के सप्ताह में भारत के राजपत्र (संख्या 28, भाग—III, धारा—4) में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/ पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नवत विनियम सृजित करता है, नामत :—

1. **लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:**

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/ पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

1.2 वे ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित हैं, तथा ऐसा प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय एवं जो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय संस्थान है।

1.3 सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से ये विनियम लागू माने जाएंगे।

2. **एम0फिल0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड**

2.1 एम0फिल0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यावसायिक उपाधि होगी जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम कुल 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर बी ग्रेड प्राप्त हुए हों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो कि शैक्षिक संस्थानों की

गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

2.2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) (Non-Creamy Layer) से संबद्ध हैं अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए अथवा दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। 55% अर्हता अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5% अंकों की छूट केवल अर्हक अंकों के आधार पर ही अनुमेय है जिसमें रियायती अंक शामिल नहीं है।

3 **पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड**

इन विनियमों में विनिर्धारित शर्तों के अध्यधीन, निम्नवत व्यक्ति पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

3.1 उपरोक्त धारा 2 के अन्तर्गत विनिर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले स्नातकोत्तर डिग्री धारक।

3.2 एम0फिल0 पाठ्यक्रम को कम से कम कुल 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त कर सफलतापूर्वक एम0फिल0 उपाधि प्राप्त करने वाले (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड) अभ्यर्थी शोध कार्य करने हेतु पात्र होंगे जिससे वे उसी संस्थान में समेकित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पीएच0डी0 उपाधि अर्जित कर सकें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) (Non-Creamy Layer)/पृथक रूप से निशक्त से संबद्ध हैं अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

3.3 कोई व्यक्ति जिसके एम0फिल0 शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया है तथा मौखिक साक्षात्कार लंबित है, उसे उसी संस्थान के पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है.

3.4 अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान की एम0फिल0 उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थान से है, जो कि जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जो शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, ऐसे अभ्यर्थी पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

4. **पाठ्यक्रम की अवधि**

4.1 एम0फिल0 पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि लगातार दो (02) सेमेस्टर/एक वर्ष और लगातार अधिकतम चार (04) सेमेस्टर/दो वर्ष होगी।

4.2 पीएच0डी0 पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी शामिल होगा तथा अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी।

4.3 उपर्युक्त सीमा के अतिरिक्त समय विस्तारण को उन सापेक्ष धाराओं द्वारा अभिशासित किया जाएगा जो कि संबंधित संस्थान की संविधि/अध्यादेश में विनिर्धारित हैं।

4.4 महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40% से अधिक हो) उन्हें एम0फिल0 में एक वर्ष की तथा पीएच0डी0 के लिए अधिकतम दो वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, महिला अभ्यर्थियों को एम0फिल0/पीएच0डी0 की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

5. **प्रवेश हेतु प्रक्रिया**

5.1 सभी विश्वविद्यालय एवं मानित विश्वविद्यालय संस्थान उस सम्बद्ध विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय संस्थान के स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एम0फिल0/पीएच0डी0 छात्रों को प्रवेश उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय उन छात्रों के लिए पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा हेतु पृथक निबन्धन एवं शर्तों का निर्णय करेगा, जिन छात्रों ने यूजीसी–नेट (जेआरएफ सहित)/यूजीसी–सीएसआईआर नेट (जेआरएफ सहित)/स्लैट/गेट/शिक्षक अध्येतावृत्ति अथवा जिन्होंने एम0फिल0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है।

5.2 उपर्युक्त उप–खण्ड 1.2 में संदर्भित उच्च शैक्षिक संस्थान तथा उनके संबद्ध महाविद्यालय जिन्हें एम0फिल0 और/अथवा पीएच0डी0 पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति है, हैं :–

5.2.1 वार्षिक आधार पर अपने शैक्षणिक निकायों के माध्यम से पूर्व निर्धारित तथा संतुलित संख्या में एम0फिल0 और/अथवा पीएच0डी0 शोधार्थी को दाखिला देगा जो कि उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं पर निर्भर करेगी, तथा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात (जैसा पैरा 6.5 में दर्शाया गया है) प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं के संबंध में मानदण्ड को ध्यान में रखा जाएगा.

5.2.2 दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषयवार संवितरण, दाखिले का मानदण्ड, दाखिले की प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अन्य सभी संगत जानकारी संस्थागत वेबसाइट तथा कम से कम दो (2) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पहले ही जारी करें जिनमें से एक (01) समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में हो,

5.2.3 राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथास्थिति अनुपालन करें।

5.3 दाखिले, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदण्ड के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकारों की आरक्षण नीति को मद्देनजर रखते हुए किये जाएगें।

5.4 उपर्युक्त उपखण्ड 1.2 में संदर्भित संस्थान तथा महाविद्यालय अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला देंगे

5.4.1 प्रवेश परीक्षा, अर्हक परीक्षा होगी जिसमें 50% अर्हता अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यविवरण में 50% शोध पद्धति तथा 50% विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा पहले ही अधिसूचित केन्द्र (यदि केन्द्रों में कोई परिवर्तन होता है तो पर्याप्त समय पूर्व उसकी जानकारी पृथक संस्थान/महाविद्यालय को दी जानी चाहिए) जो कि सम्बद्ध उच्च शैक्षिक संस्थान के स्तर पर हो, जैसा कि धारा 1.2 में संकेत दिया गया है, एवं

5.4.2 जिस समय अभ्यर्थियों के लिए उनके शोध रुचि/क्षेत्र पर कोई चर्चा एक विधिवत् गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण माध्यम से की गई हो तो उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा एक साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार संचालित किया जाएगा जैसा कि उपरोक्त धारा 1.2 में संकेत दिया गया है।

5.5 साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा, अर्थात् क्या:

5.5.1 क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है,

5.5.2 प्रस्तावित शोधकार्य कुशलतापूर्वक संस्थान/महाविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है,

5.5.3 प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।

5.6 विश्वविद्यालय अपनी वेबसाईट पर एम0फिल0/पीएच0डी0 के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रखरखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि शामिल होंगे।

6. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण: शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक अनुमेय एम0फिल0/पीएच0डी0 शोधार्थियों की संख्या आदि।

6.1 मानित विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप से नियुक्त आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पांच शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हैं और विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय संस्थान/महाविद्यालय का कोई नियमित सह/सहायक आचार्य जो पीएच0डी0 उपाधि धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विधाओं में जहां कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हो अथवा केवल सीमित संख्या में संदर्भित पत्रिका हो, तो संस्थान किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

6.2 केवल संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है। तथापि, उसी संस्थान के अन्य विभागों से अथवा अन्य संबद्ध संस्थानों से अंतर–विषयी क्षेत्रों में सह–पर्यवेक्षकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

6.3 किसी चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक विद्वानों की संख्या, पर्यवेक्षको की विशेषज्ञता तथा विद्वानों की शोध रुचि, जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

6.4 ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के हैं, जहां संबंधित विभाग यह महसूस करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता को बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उन स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाएगा और विभाग/संकाय/महाविद्यालय/संस्थान के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक को ऐसी निबंधन व शर्तों पर सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा जैसा कि सहमति प्रदान करने वाले संस्थान/महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिसपर आपस में सहमति बनेगी।

6.5 किसी एक समय के दौरान कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक के रूप में तीन (03) एम0फिल0 तथा आठ (08) पीएच0डी0 शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकता है। कोई भी सह आचार्य, शोध पर्यवेक्षक के रूप में अधिकतम दो (02) एम0फिल0 तथा छह (06) पीएच0डी0 शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक आचार्य अधिकतम एक(01) एम0फिल0 और चार(04) पीएच0डी0 शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

6.6 विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी एम0फिल0/पीएच0डी0 महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का यथावत पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

7. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य : क्रेडिट अपेक्षाएं, संख्या, अवधि, पाठ्यविवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मानदण्ड आदि।

7.1 एम0फिल0 और पीएच0डी0 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट दिए जाएंगे।

7.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को एम0फिल0/पीएच0डी0 की तैयारी के लिए पूर्वापेक्षा माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट दिए जाएंगे जिसमें ऐसे क्षेत्र जैसे परिमाणात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शोध संबंधी आचार तथा संगत क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि शामिल हैं। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे जो छात्रों को एम0फिल0/पीएच0डी0 के लिए तैयार करेंगे।

7.3 एम0फिल0 और पीएच0डी0 के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा वह विषयवस्तु, अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा। वे प्रतिकूल शैक्षणिक निकायों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किए जाएंगे।

7.4 ऐसे विभाग जहां विद्वान अपना शोध कार्य जारी रखते हैं, वे शोध विद्वानों को शोध सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर नीचे दिए गए उप–खण्ड 8.1 में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम(ों) को विहित करेंगे।

7.5 एम0फिल0 तथा पीएच0डी0 कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

7.6 पहले ही एम0फिल0 उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त हो गया है, अथवा जिन्होंने पहले ही एम0फिल0 में पाठ्यक्रम संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जिन्हें पीएच0डी0 समेकित पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें विभाग द्वारा पीएच0डी0 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य से छूट प्रदान की जा सकती है। अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा विहित पीएच0डी0 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

7.7 शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में ग्रेड को शोध सलाहकार समिति द्वारा समेकित मूल्यांकन किए जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा तथा संस्थान/महाविद्यालय को अंतिम ग्रेड के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

7.8 किसी एम0फिल0/पीएच0डी0 शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में न्यूनतम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 7 बिंदु मापक पर इसके समकक्ष ग्रेड (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो तथा उसे शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने होंगे।

8. शोध सलाहकार समिति तथा इसके प्रकार्य:

8.1 संबंधित संस्थान के परिनियम/अध्यादेश में यथा परिभाषित, प्रत्येक एम0फिल0 और पीएच0डी0 शोधार्थी के लिए इसी प्रयोजनार्थ एक शोध सलाहकार समिति, अथवा एक समकक्ष निकाय होगा। शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक इस समिति का समन्वयकर्ता होगा। इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे:

8.1.1 शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना;

8.1.2 शोधार्थी का अध्ययन ढांचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रम(ों) की पहचान कराना।

8.1.3 शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

8.2 शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में एक प्रस्तुति देगा। शोध सलाहकार समिति द्वारा छह मासिक प्रगति रिपोर्ट संस्थान/महाविद्यालय को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी।

8.3 यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध

सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर संस्थान/महाविद्यालय को इसकी सिफारिश कर सकती है।

9. उपाधि आदि अवार्ड करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां, न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट आदि

9.1 एम0फिल0 उपाधि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी कार्य हेतु क्रेडिट सहित समग्र न्यूनतम क्रेडिट संबंधी अपेक्षाएं 24 क्रेडिट से कम नहीं होगी।

9.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त तथा उपर्युक्त 7.8 उप धाराओं में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, जैसा भी मामला हो, एम0फिल0/पीएच0डी0

शोधार्थी द्वारा शोध कार्य आरंभ करना अपेक्षित होगा तथा इन विनियमों के आधार पर संबंधित संस्थान द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित समय में एक मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस जमा करना होगा।

9.3 शोध प्रबंध/थीसिस को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी संबंधित संस्थान की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकार समिति के परामर्श से मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाए।

9.4 मूल्यांकन किए जाने हेतु शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व एम0फिल0 शोधार्थी किसी सम्मेलन/संगोष्ठी में कम से कम एक (01) शोध पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पीएच0डी0 शोधार्थी संदर्भित पत्रिका में कम से कम (01) शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित करवाएगा तथा अपने शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो पेपर प्रस्तुत करेगा तथा इनके संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र और/अथवा पुनर्मुद्रण के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

9.5 संस्थान की शिक्षा परिषद (अथवा इसके समकक्ष निकाय), सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा संबंधी छल-कपट का पता लगायेगी। शोध प्रबंध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध पर्यवेक्षक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य उसी संस्थान में जहां यह शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9.6 किसी भी शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये एम0फिल0 शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक तथा कम से कम एक ऐसे बाह्य परीक्षक द्वारा किया जाएगा जो संस्थान/महाविद्यालय में नियोजित नहीं हो। अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक साक्षात्कार, दोनों परीक्षकों द्वारा एक साथ किया जाएगा, जिसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग के संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी एवं इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

9.7 शोधार्थी द्वारा जमा किए गए पीएच0डी0 शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक तथा कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो संस्थान/महाविद्यालय में नियोजित न हों, जिनमें से एक परीक्षक विदेश से भी हो सकता है। अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक परीक्षा, शोध पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

9.8 शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध/थीसिस/पर बाह्य परीक्षक(ों) की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिये विशिष्ट सिफारिश शामिल हो। एम0फिल0 शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा पीएच0डी0 शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर संस्थान परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध/थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो, शोध प्रबंध/थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

9.9 संस्थान उपर्युक्त पद्धति विकसित करेंगे ताकि शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर एम0फिल0 शोध प्रबंध/पीएच0डी0 शोध प्रबंध के मूल्यांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

10. एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं

10.1 महाविद्यालयों को केवल उस स्थिति में एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने हेतु पात्र माना जाएगा जब वे इन विनियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों की उपलब्धता, अपेक्षित अवसंरचना और सहायक प्रशासनिक तथा शोध संवर्धन सुविधाएं होने के संबंध में संतुष्ट कर पाएंगे।

10.2 महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग, भारत सरकार/राज्य सरकार की शोध प्रयोगशालाएं तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जिनके संबंधित विभाग में कम से कम दो पीएच0डी0 अर्हता प्राप्त शिक्षक/वैज्ञानिक/अन्य शैक्षणिक स्टाफ हो तथा इन विनियमों के अनुरूप उप–खण्ड 10.3 में यथा विनिर्दिष्ट साथ ही अपेक्षित अवसंरचना, सहायक प्रशासनिक तथा शोध संवर्धन सुविधाएं मौजूद हों, उन्हें एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के उन्हें पात्र माना जाएगा। इसके साथ–साथ महाविद्यालयों को उन संस्थानों से अनिवार्य मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जिनके तहत ये कार्य करते हैं।

10.3 केवल निम्नानुसार उल्लिखित शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं वाले महाविद्यालय ही एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे

10.3.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विधाओं के मामले में, संबंधित संस्थानों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नवीनतम उपकरण से सुसज्जित विशिष्ट शोध प्रयोगशालाएं जिनमें प्रति शोधार्थी हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो, साथ ही कम्प्यूटर सुविधाएं तथा अनिवार्य सॉफ्टवेयर तथा अबाधित विद्युत एवं जलापूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए,

10.3.2 नवीनतम पुस्तकों सहित चिन्हित ग्रंथालय संसाधन, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, ई–जर्नल, सभी विधाओं हेतु विस्तारित कार्य घंटे, विभाग/ग्रंथालय में शोधार्थियों हेतु पठन, संग्रहण हेतु पर्याप्त स्थान, अध्ययन तथा शोध सामग्री के भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिए,

10.3.3 संस्थान/महाविद्यालय आसपास के संस्थानों/महाविद्यालयों की अपेक्षित सुविधाओं तक पहुंच बना सकते हैं अथवा उन संस्थानों/महाविद्यालयों/अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं/संगठनों तक पहुंच बना सकते हैं जिनमें अपेक्षित सुविधाएं है।

11. दूरस्थ शिक्षा पद्धति/अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच0डी0/एम0फिल0 उपाधि का संचालन

11.1 वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी नियम अथवा विनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद कोई भी विश्वविद्यालय, संस्थान, मानित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम0फिल0 और पीएच0डी0 पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा।

11.2 अंशकालिक आधार पर पीएच0डी0 पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति होगी बशर्ते मौजूदा पीएच0डी0 विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ण की जाए।

12. इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व प्रदान की गयीं एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधियां अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई उपाधियां

12.1 ऐसे अभ्यर्थी जो एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों के लिए जुलाई, 11 2009 को अथवा उसके पश्चात् इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना, इन यूजीसी (एम0फिल/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक एवं विधि) विनियम, 2009 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

12.2 यदि विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान की जाती है तो ऐसी उपाधि पर विचार करने हेतु भारतीय संस्थान उस मामले को अवार्ड की गई उपाधि की समतुल्यता का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उस मामले को संबंधित संस्थान द्वारा गठित स्थायी समिति को भेजेगा।

13. इनफ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी :

13.1 एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि(यों) को अवार्ड करने हेतु सफलतापूर्वक मूल्यांकन प्रकिया पूर्ण हो जाने के पश्चात तथा एम0फिल0 /पीएच0डी0 उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व, सम्बद्ध संस्थान एम0फिल0 /पीएच0डी0 शोध प्रबंध की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति इनफ्लिबनेट के पास प्रदर्शित(होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी संस्थानों/महाविद्यालयों तक इनकी पहुंच बनाई जा सके।

13.2 उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व उपाधि प्रदान करने वाला संस्थान इस आशय का एक अनंतिम प्रमाणपत्र जमा करेगा कि उपाधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

प्रो. जसपाल एस. सन्धु,सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./143 (113)]

प्रो. (डॉ) जसपाल एस. सन्धू
सचिव
Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu
MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jsandhu.ugc@nic.in

D.O. No. F. 1-1/2016(Secy)

8th August, 2016

Dear Sir/Madam,

The University Grants Commission vide its notification No.F1-2/2016(PS/Amendment) dated 11th July, 2016 had notified UGC (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (4th Amendment), Regulations, 2016. As per the Appendix-III, Category-III of Table-I, Table-IV and Table-VII, under the Research and Academic Contributions, the University Grants Commission is to notify the Journals to be considered for the purpose of computation of API scores. The basis for identification of journals is that the university concerned shall identify the subject-wise journals through Subject Expert Committees and forward the recommendations to the UGC in the format which is attached along with this letter. The UGC Standing Committee will scrutinize the list of journals and notify the same. It is pertinent to mention here that list of notified journals will be applicable to all universities.

You are requested to kindly send the list of journals duly recommended by the Subject Expert Committees in "excel format" to UGC on the email: **ugc.api@gmail.com**. The hard copies of the list shall follow subsequently with the due signature of the Dean Academic Affairs/Director Research or officer of equivalent position so as to start the process of scrutiny in UGC.

Since, the issue pertains both to recruitment and promotion of teachers; you are requested to accord top priority to it. For any clarification, kindly contact Dr. Renu Batra, Joint Secretary, UGC, New Delhi on phone 011-23231273.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Jaspal S. Sandhu)

Encl : As above

The Vice-Chancellor
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur-492 010
Chhattisgarh.

253
31-08-16

FORMAT FOR SUBJECTWISE IDENTIFYING JOURNALS BY THE UNIVERSITIES AND APPROVAL OF THE UGC

{UNDER CLAUSE 6.05 (I) OF THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION) (4th Amendment), REGULATIONS, 2016.}

Subject :.....

A. Refereed Journals

Sl. No	Name of the Journal	Publisher and place of publication	Year of start	Hard copies published Yes / No	e-publication Yes/No	ISSN number	Peer/Refree Reviewed Yes/No	Indexing status. If indexed, Name of the indexing data base.	Impact Factor/Rating. Name of the IF assigning agency. Whether covered by Thompson & Reuter (Y/N)	Do you use any exclusion criteria for Research Journals	Any other information
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

B. Other Reputed Journals

Sl. No	Name of the Journal	Publisher and place of publication	Year of start	Hard copies published Yes / No	e-publication Yes/No	ISSN number	Peer/Refree Reviewed Yes/No	Indexing status. If indexed, Name of the indexing data base.	Impact Factor/Rating. Name of the IF assigning agency. Whether covered by Thompson & Reuter (Y/N)	Do you use any exclusion criteria for Research Journals	Any other information
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 6291 /अका./2015

रायपुर, दिनांक: 18 /11/2015

।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.09.2015 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 के निर्णय के परिपालन में, क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला में संचालित एम.ए. पाठ्यक्रम के शीर्षक M.A. in Rural Planning and Development को संशोधित करते हुए, **M.A. in Rural Development** किया जाता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 6292 /अका./2015

रायपुर, दिनांक: 18 /11/2015

प्रतिलिपि :

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
02. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
03. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
04. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
05. समस्त विभागीय अधिकारी,
06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

D:\backs\shital\T R Sahu\T R Sahu General letter 22.docx

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

(विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.09.2016)

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	**शासकीय आदर्श महाविद्यालय, रायपुर**	B.Sc.-II- Bio Group FC, Chemistry, Botony, Zoology,	50	2016–17	1. प्रो. के.के. घोष, रसायन अध्ययनशाला, पं.र.शु. वि.वि. रायपुर 2. प्रो. एस.के. जाधव, बायोटेक्नालॉजी, अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. प्रो. आरती परगनिहा, बायोसाइंस अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
	निरीक्षण तिथि : 06.09.2016 – वि.वि. के पत्र क्रमांक 2089/अका/सं/2016 दिनांक 26.08.2016 के अनुसार निरीक्षण किया गया 06.09.2016 1 कक्षायें प्रायोगिक कक्षायें, पुस्तकालय के लिये शा.ना.वि. महाविद्यालय का उपयोग किया जा रहा है। 2 प्राध्यापक शासन द्वारा संविदा पर रखा जायेगा एवं शा.ना.वि. महा. के प्राध्यापक के द्वारा अध्यापन कराया जा रहा है। 3 ग्राम अटारी में 14.5 एकड महाविद्यालय के लिये चिंहित किया गया है। 4 बी.एस.सी – II के लिये सुविधायें पर्याप्त है।				

***

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 15.07.2016 में लिये गए निर्णय का पालन प्रतिवेदन।

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

पालन : निर्णयानुसार कार्यवाही की गई।

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णयः विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	शास. प. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसींवा, रायपुर **(स्थापना वर्ष–1988–89)**	**M.A. (Final) Hindi**	25	2016–17	1. डॉ. शैल शर्मा, आचार्य, साहित्य एवं भाषा अ.शा. 2. डॉ. आभा तिवारी, प्राचार्य, शास. महावि. पिथौरा
		M.Sc. (Final) Mathematics	15	2016–17	1. डॉ. सी.एल. देवांगन, प्राचार्य, शास. नवीन महावि. फिंगेश्वर 2. डॉ. अमिताभ बैनर्जी, प्राचार्य, शास. एस.एन. महावि. नगरी
		M.A.-Prev.-2015-16			
	निरीक्षण तिथि : 05.07.2016 – एम.ए. अंतिम हिन्दी 1. आज दिनांक 05.07.2016 को शा. महावि. धरसींवा में एम.ए. हिन्दी (तृतीय सेमेस्टर) की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण किया गया। 2. हिन्दी विषय में ग्रंथों की संख्या यद्यपि उपयुक्त है, पर तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के लिए कुछ और पुस्तकों की आवश्यक है। 3. महावि. में साइंस एवं कला विषयों में हिन्दी विषय का अध्यापन होता है इसके अतिरिक्त एम.ए. में भी अध्ययन किया जा रहा है। इस हेतु अध्यापन के लिए कम से कम तीन और पदों की आवश्यकता हैं। एम.एस.सी. अंतिम गणित निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता हेतु अनुशंसा की जाती है : 1. विषय से सम्बन्धित संदर्भ ग्रंथों का क्रय किया जाये (कम से कम 50,000=00 रु.) 2. निर्धारित संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था की जाये। (कम से कम 3 सहायक प्राध्यापक एवं 1 प्राध्यापक)				
	निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।				
	पालन : आदेश क्र. 2219/अका./सम्बद्धता/2016 दिनांक 07.09.2016 जारी किया गया।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर (स्थापना वर्ष–2013–14) B.Sc. -I-2013-14 II-2014-15 B.A. -I-2013-14 II-2014-15 B.Com. -I-2013-14 II-2014-15	B.Sc. -III F.C., Chemistry, Maths, Physics	60	2015–16 से	1. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला
		B.A. -III - Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., History	60	2015–16 से	2. डॉ. ए.के. शुक्ल, संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्
		B.Com.-III (Compulsory Subject)	60	2015–16 से	3. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 02.07.2016 - शर्ते :–

1. महाविद्यालय मे रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करने।
2. ग्रथालय में 50000/– की पुस्तके एवं प्रयोगशाला हेतु एक लाख रुपयो के उपकरण क्रय करने।
3. विश्वविद्यालय के नियमों एवं आदेशों का पालन करने की शर्तो की पूर्ति की शर्त पर सत्र 2015–16 हेतु निम्नानुसार सम्बद्धता की पात्रता बनता है :–
   - (i) B.Sc.-III- (60 Seats) (F.C., Chemistry, Maths, Physics)
   - (ii) B.A.-III- (60 Seats) (Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., History)
   - (iii) B.Com.-III- (60 Seats) (Compulsory Subject)

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

पालन : आदेश क्र. 2187/अका./सम्बद्धता/2016 दिनांक 01.09..2016 जारी किया गया।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03.	कोपल वाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय, प. सुंदरलाल शर्मा स्कूल कैम्पस, सुंदर नगर, रायपुर (शासन का आदेश–61/05/आउशि/अशै.प्र./2016 दि. 17.05.2016)	B.A.-II year (F.C., Drawing, Painting, Dance & Sociology) B.A.-I-2016-17	30	2016–17	1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान एव आचार्य अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. स्वप्निल कर्महे, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर 3. डॉ. प्रमोद शर्मा, आचार्य, समाजशास्त्र अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
		कार्या.टीप – महाविद्यालय को प्रथम वर्ष की सम्बद्धता 2016–17 के लिए प्रदान की गई है।			

निरीक्षण तिथि : 01.07.2016

वि.वि. के आदेश क्र. 1468/अका./2016 रायपुर दिनांक 10.06.2016 के तहत कोपलवाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय सुंदर नगर, रायपुर में बी.ए. द्वितीय वर्ष की अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण आज दिनांक 01.07.2016 को किया गया, जिसमें निम्न तथ्य पाये गये :–

1. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है।
2. भवन किराये का है।
3. 28 परिनियम में शिक्षक नियुक्त नहीं है।
4. ग्रंथालय में पुस्तकें नहीं है।
5. 28 परिनियम के तहत सभी विषय मे शिक्षक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है। ग्रंथालय में सभी विषयो के छात्र अनुपात मे पुस्तके क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।

संबंधित महाविद्यालय समय--समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशो का पालन करेगे।

परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह मे पूर्ण करें।

शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तो के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

पालन : आदेश क्र. 2079/अका./सम्बद्धता/2016 दिनांक 26.08.2016 जारी किया गया।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04	दिशा लॉ कॉलेज, सत्यविहार विधानसभा, चंदखुरी मार्ग, रायपुर **(स्थापना वर्ष–2014–15)** B.A.LL.B-I-2014-15 II-2015-16 LL.B- I-2014-15 II-2015-16	B.A.LL.B-III year	120	2016–17	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2. डॉ. विनीता अग्रवाल, शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ महाविद्यालय, रायपुर
		LLB-III year	60		

निरीक्षण तिथि : 25.06.2016

गठित निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 25.06.2016 को दिशा विधि महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया निरीक्षण समिति में प्रो. अ. अलीम खान तथा डॉ. विनीता अग्रवाल सदस्य थीं। निरीक्षण में पाया गया कि –

1. महाविद्यालय के पास पर्याप्त कक्ष–कक्षाए हेतु एव आवश्यक अधोसंरचना मौजूद है।
2. महाविद्यालय को वर्तमान में पर्याप्त पुस्तकें है पर उसकी संख्या मे वृद्धि आवश्यक है सदस्यो को बताया गया कि AIR आदि के Backset खरीदे जाने का प्रस्ताव है।
3. परिनियम 28 के अनुसार प्राचार्य एवं विधि के शिक्षको की नियुक्ति आवश्यक है।
4. महाविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है ऐसा समिति को बताया गया जिसे शिघ्रातिशिघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
5. महाविद्यालय को आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा सत्र 2016–17 पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
6. महाविद्यालय को आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा सत्र 2016–17 मे स्नातक स्तर पर BALLB तृतीय वर्ष तथा LLB तृतीय वर्ष की अनुमति पत्र क्र. 32 / 393 / आउशि / अशैप्र / 2016 दिनांक 26.02.2016 द्वारा प्रदान कर दी गई है।

शर्त :–

1. पर्याप्त अधोसंरचना मौजूद है।
2. परिनियम 28 मे प्राचार्य एव शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
3. लाइब्रेरी को सुदृढ किया जाना आवश्यक है।
4. B.C.I. की कोई शर्त हो तो उसे पूरा किया जाना आवश्यक है।

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओ की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

पालन : आदेश क्र. 2081 / अका. / सम्बद्धता / 2016 दिनांक 26.08.2016 जारी किया गया।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर **(स्थापना वर्ष–2006–07)**	**B.Com.** पूर्व सीट सं. –120	30 सीट वृद्धि	2016–17	1. प्रो. आर.पी. दास, आचार्य, प्रबध संस्थान पं.रा.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. ए.के. पाण्डेय, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 3. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कुरूद 4. डॉ. डी.के. पाण्डेय, शास. महाविद्यालय, तिल्दा
		BBA पूर्व सीट सं. –120	30 सीट वृद्धि		

शासन का आदेश क्र. एफ 17–21 / 2016 / 38–2 दिनांक 10.02.2016

	Inspection Date - 20-06-2016 1. College has adequate infrastructure in terms of (1) Class Rooms (2) Computers (3) Library (4) Faculty 2. The College has appointed 2 Faculty in Management & 3 more are appointed for BBA programme. 3. In Commerce, they have 2 Faculty appointed under 28, for 3 more interview is to be held in the month of June, 2016. However : College should appoint : (i) 5 More faculty for BBA programme U/s 28. (ii) 6 More faculty for B.Com U/s 28; and (iii)Purchase Books worth Rs. 50,000/- each for commerce and management to meet the increase in seats in two courses.
	निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें। शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।
	पालन : आदेश क्र. 1754/अका./सम्बद्धता/2016 दिनांक 18.07.2016 जारी किया गया।

04. सत्र 2016–17 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अध्ययन मण्डल के द्वारा अनुशंसित सत्र 2016–17 के लिए निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

कला संकाय

1	भाषा विज्ञान	4	क्लासिक्स
2	दर्शन शास्त्र	5	अंग्रेजी
3	ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान	6	हिन्दी

संगीत एवं उर्दू विषय में अध्ययन मण्डल के सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

सामाजिक विज्ञान संकाय

1	राजनीति विज्ञान	5	अर्थशास्त्र
2	क्षेत्रीय अध्ययन	6	इतिहास
3	समाजशास्त्र	7	प्राचीन भारतीय इतिहास
4	मनोविज्ञान		

विज्ञान संकाय

1	सांख्यिकी	5	भूविज्ञान
2	इलेक्ट्रानिक्स	6	भौतिकी
3	भूगोल	7	रसायन
4	गणित	8	संगणक विज्ञान

जीव विज्ञान संकाय

1	मानव विज्ञान	4	बायोसाइंस

2 प्राणीशास्त्र
3 वनस्पति शास्त्र
5 बायोटेक्नालॉजी

विधि संकाय

1 विधि

वाणिज्य संकाय

1 वाणिज्य

शिक्षा संकाय

1 शिक्षा

टेक्नोलॉजी संकाय

1 फार्मेसी

गृह विज्ञान संकाय

1 होमसाइंस

प्रबंध संकाय

1 प्रबंध

शारीरिक शिक्षा संकाय

1 शारीरिक शिक्षा

पालन : सूचना क्रमांक 1784/पाठ्यक्रम/अका./2016 रायपुर, दिनांक 20.07.2016 जारी कर संबंधितों को सूचित किया गया।

05. सत्र 2016–17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :–

शासकीय महाविद्यालय

1 राजीव गांधी शास. महाविद्यालय, सिमगा, जिला– बलौदाबाजार 2015–16 एवं 2016–17
2 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर
3 स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद
4 शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ, जिला– बलौदाबाजार 2015–16 एवं 2016–17
5 चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला–महासमुंद
6 शास. दू.ब. स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर
7 शास. लालश्याम शाह कॉलेज, मानपुर जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) 2015–16
8 शास. प. श्यामा शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभाग जिला–गरियाबंद 2015-16
9 शास. वीर सुरेन्द्र साय कॉलेज, गरियाबंद जिला–गरियाबंद 2015–16
10 इंदिरा गांधी शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, जिला-दुर्ग 2015–16
11 स्व. ठाकुर महराज सिंह शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया, जिला–बेमेतरा 2014–15 एवं 2015–16
12 शास. स्व. छोटे लाल श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
13 शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर

अशासकीय महाविद्यालय

1 कालिंदी महाविद्यालय, स्वाती एजुकेशन, सोसायटी, लालपुर, रायपुर (छ.ग.)
2 आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)
3 आदर्श कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंज मंडी, रायपुर (छ.ग.)
4 सेंट्रल कॉलेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
5 नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम–बेलभाठा, व्हाया–अभनपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
6 ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)
7 प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
8 विकास शिक्षा महाविद्यालय, सी--191, देवपुरी, फुडहर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
9 स्वामी अजय गुरूदेव इंस्टीट्युट ऑफ साइस एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम - मुडपार, पो– खरोरा, तह – तिल्दा, जिला -- रायपुर
10 दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)

11 महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, सगता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

12 श्री बिरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, प्लाट नं.–724/1, स्ट्रीट नं.–1, ग्राम+पोस्ट–जामगॉव, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

13 दिशा कालेज आफ साइंस एंड कामर्स, प्लाट नं.–788/1/2, 792/3, दिशा पार्क रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)

14 दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)

15 इंडियन कालेज आफ एजुकेशन, स्टेशन रोड, महासमुंद (छ.ग.)

16 जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)

17 पं. हरिशकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

18 एस.के.टी.डी. विधि महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

19 महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)

20 कला महाविद्यालय जी - जामगांव, जिला--धमतरी

21 कला एवं वाणिज्य कन्या महावि. देवेन्द्र नगर, रायपुर 2015–16

22 समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम–फरी, पोस्ट–बिजभाटा, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) 2015–16

23 श्री रामेश्वर गहिरा गुरू सस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापारा, जशपुर

निर्णय : सत्र 2015–16 एवं सत्र 2016–17 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

पालन : निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 27.07.2016 में लिये गए निर्णय का पालन प्रतिवेदन।

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

पालन : निर्णयानुसार कार्यवाही की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01	सी.आई.टी. विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, अभनपुर, नया रायपुर (B.Sc. I Maths Group, B.Sc. I Bio Group- 2014-15)	B.Sc. II Year- Maths Group- Physics, Chemistry, Math	40	2016–17	1. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला 2. डॉ. एस.के. जाधव, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला 3. प्रो. आर.एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला 4. डॉ. अमिताभ बनर्जी, प्राचार्य, शास. महा. नगरी
		B.Sc. II Year- Bio Group- Chemistry, Botany, Zoology	40	2016–17	
	निरीक्षण तिथि : 18.07.2016 – 1. बी.एस.सी. भाग–II के गणित समूह एवं बायो समूह 40–40 छात्रों के लिये सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक कक्षाओं के लिये पर्याप्त अधोसंरचना है। 2. पुस्तकायल में पुस्तकें पर्याप्त हैं, कुछ पुस्तकों की और आवश्यकता होगी। 3. धारा–28 में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है।				
	निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें। शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।				
	पालन : आदेश क्र. 2136/अका./सम्बद्धता/2016 दिनांक 30.08.2016 जारी किया गया।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	शास. नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा (B.A.LL.B -I, II - 2014-15 & 2015-16)	B.A.LL.B -III - Integrated course (Five Year)	60	2016–17	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2. डॉ. विनीता अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक, विधि, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 19.07.2016

दिनांक 19.07.2016 को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा शासकीय नवीन विध महाविद्यालय का निरीक्ष्ज्ञण कियागया समिति ने पाया कि (1) महाविद्यालय के पास वर्तमान में कक्षाओं हेतु पर्याप्त अधोसरंचना है। (2) प्राचार्य द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय हेतु पृथक भवन का निर्माण ग्राम देवरी में किया जाना प्रस्तावित है जिस पर शासकीय स्तर पर कार्यवाही चल रहा है। शासन द्वारा विधि के 5 शिक्षकों का सेट–अप विभाग हेतु स्वीकृत है। (3) महाविद्यालय में पर्याप्त पुस्तकें हैं। तृतीय वर्ष (जिसकी याचना हेतु महाविद्यालय में आवेदन किया है) उसकी पुस्तकें खरीदी जा चुकी हैं AIR Manual का सेट भी खरीदा जा चुका है। (IV) भविष्य में Moot court की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका फर्नीचर वगैरह बनवाने की कार्यवाही चल रही है। (V) प्राचार्य द्वारा जनकारी गई कि समीप के गांवों मे Legal Awareness Camp लगाना प्रस्तावित है जिसके द्वारा ग्रामीणों को लोकोपयोगी अधिनियमों की जानकारी प्रदाय की जावेगी। (VI) कोर्ट के बाहर विवादित प्रकरणों के निपटारे तथा संबंधित पक्षकारों को समझाईश देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण में सहायक legal Aid Client का गठन भी महाविद्यालय द्वारा किया गया है BCI के प्रावधानों हेतु अनुसार इसका गठन कोर्ट में लम्बित प्रकरणों की संख्या कम करने के लिए आवश्यक है। समिति अनुशंसा करती है महाविद्यालय की BALLB-III year की सम्बद्धता 2016–17 के लिए प्रदान की जा सकती है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

पालन : आदेश क्र. 2189/अका./सम्बद्धता/2016 दिनांक 01.09.2016 जारी किया गया।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03.	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ महावि. रायपुर	LLB.-I st year LLB.-IInd year LLB.- IIIrd year	160	2016-17 2017-18 2018-19	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2.प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, वि.वि.प्रबंधन संस्थान 3. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अ.शा.

निरीक्षण तिथि :– 25.07.2016

वि.वि. पत्र क्रमांक 1722/अका./संबद्धता/2016 दिनांक 12.07.2016 के संदर्भ मे LLB.-IIIrd year (2016-17, 2017-18, 2018-19) के लिये निरीक्षण किया।

1. Infrastructure पर्याप्त है। Library मे पुस्तकें एव जर्नल पर्याप्त है।
2. Moot Court के आधुनिकरण की आवश्यकता है।
3. Sanctioned post (07+01) के विरूद्ध केवल 04 शिक्षक कार्यरत् है अंशकालिक शिक्षकों नियमानुसार Court के संदर्भ में Practical हेतु आवश्यकता।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर LLB पाठ्यक्रम को सत्र 2016–17, 2017–18 एव 2018–19 के लिये अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

पालन : आदेश क्र. 2191/अका./सम्बद्धता/2016 दिनांक 02.09.2016 जारी किया गया।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04.	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम–फरी, पो.–बीजभाटा, जिला–बेमेतरा (B.B.A.-III, B.Com.-III, B.C.A.-III-- 2012-13, 2013-14)	B.B.A. -III B.Com. - III (Compulsory Subject with Computer Application) B.C.A.-III	30 30 30	2014–15	1. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, वि.वि. प्रबंधन संस्थान 2. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर 3. डॉ. ए.के. तिवारी, प्राचार्य, दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर

निरीक्षण तिथि – 02.07.2016

वि.वि. पत्र क्रमांक 1670/अका./2016 दिनांक 05.07.2016 के संदर्भ में निरीक्षण किया गया।

1. BBA-IIIrd year, B.C.A.-IIIrd year & B.Com. (Computer Application) सभी 30 सीट के लिये Infrastructure पर्याप्त है।
2. B.C.A.-IIIrd year & B.Com. (C.A.) के Computer Lab-40 No. के साथ उपलब्ध है लेकिन Licence Software लेने की आवश्यकता है।
3. Library में पुस्तके छात्र/सीट स. के अनुपात में क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
4. परिनियम 28 के तहत शिक्षक नहीं है लेकिन अन्य शिक्षक उपलब्ध है। परिनियम 28 के तहत नियुक्ति हेतु विज्ञापन एवं अन्य कार्यवाही की गई है। (संलग्न है)

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओ की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

पालन : आदेश क्र. 2114/अका./सम्बद्धता/2016 दिनांक 30.08.2016 जारी किया गया।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05	संत गुरु घासीदास शास. स्ना. महाविद्यालय, कुरूद, जिला–धमतरी (M.Sc. Prev.- Mathematics M.A. Prev- Economics- 2015-16)	M.Sc. Final- Mathematics	20	2016–17	1. डॉ. एच.के. पाठक, आचार्य, गणित अध्ययनशाला 2. डॉ. अमिताभ बेनर्जी, शासकीय सुखराम नागे महा. नगरी–सिहावा
		M.A. Final- Economics	25	2016–17	1. प्रो. ए.के. पाण्डेय, सकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. के.के. बिन्दल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि :– 18.07.2016

आज दिनांक 18.07.2016 को M.Sc. final, Mathematics (20 Seats) एवं M.A. third Semester, Economics (25 Seats) की सत्र 2016–17 में सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया तथा निम्न तथ्य पाये गये –

1. कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. M.Sc. Maths हेतु दो अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है।
3. M.A. Eco. में वर्तमान में कोई भी शिक्षक नहीं है, अत: 2 शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है।
4. महाविद्यालय में ग्रंथागार में विषय से संबधित पर्याप्त पुस्तके है।
5. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है जिसमें स्थायी प्राचार्य नियुक्त है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

पालन : आदेश क्र. 2217/अका./सम्बद्धता/2016 दिनांक 06.09.2016 जारी किया गया।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
06.	शासकीय वीर सुरेन्द्रसाय महाविद्यालय, गरियाबंद शासन का आदेश पृ. क्र. 3–35 / 2015 / 38–1 नया रायपुर, दिनांक 21.08.2015	M.A. Previouse Economics	25	2016–17	1. प्रो. आर.पी. दास, प्रबंध संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायुपर 2. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान सकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 3. डॉ. विनोद कुमार जोशी, डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि :– 20.07.2016

1. Building is used for collectorate purpose. So college classes are going on a school building.
2. One Assistant Professor is looing after the subject other Posts are vacant.
3. The atmosphere is not very encouraging for PG Class.
4. No. books in the library.

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

पालन : आदेश क्र. 2223 / अका. / सम्बद्धता / 2016 दिनांक 07.09.2016 जारी किया गया।

03. परिनियम क्रमांक–14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने मानद् उपाधि समिति की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : परिनियम क्रमांक–14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने के लिये पद्म विभूषण डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर आयुका, पुणे को दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामयी बाईसवां दीक्षात–समारोह में उनकी उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र मे राष्ट्र के लिए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए डी.एस–सी. (विज्ञान संकाय) की मानद् उपाधि प्रदान करने हेतु मानद उपाधि समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

पालन : निर्णयानुसार पद्म विभूषण डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर आयुका, पुणे को दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामयी बाईसवां दीक्षांत–समारोह में मानद उपाधि प्रदान की गई।

04. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016–17 से प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका के अनुसार विभिन्न विषय / पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3–33 / 2015 / 38–1 नया रायपुर, दिनांक 05.07.2016 के आदेशानुसार विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016–17 से निम्नलिखित विषय / पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि के लिए महाविद्यालयों से आवेदन प्राप्त कर, सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.	महाविद्यालयों का नाम	कक्षा/विषय	सीट वृद्धि संख्या
1	डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महावि., रायपुर, जिला–रायपुर	बी.एस.सी. (बायोलॉजी)	40
		बी.एस.सी. (गणित)	25
2	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नवापारा,	डी.सी.ए.	10

	जिला–रायपुर	पी.जी.डी.सी.ए.	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	20
		बी.ए. प्रथम वर्ष	60
3	शासकीय महाविद्यालय, आरग, जिला–रायपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	50
		बी.काम. प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. गणित प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. बायो समूह प्रथम वर्ष	25
4	शासकीय प. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, जिला–रायपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (बायो)	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित)	10
5	शासकीय दू.ब. महिला पी.जी. महाविद्यालय, रायपुर, जिला–रायपुर	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष	15
		एम.एस.सी. रसायशास्त्र	5
		एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	5
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	5
		एम.एस.सी. फूड एंड न्यूट्रिशन	5
		पी.जी. डिप्लोमा इन डायटेटिक्स	10
		पी.जी.डी.सी.ए.	10
		एड ऑन कोर्स इन कम्प्युटर साईंस	10
6	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर	एल.एल.एम.	10
		एम.ए. भूगोल	5
7	शासकीय दाउ कल्याण सिंह महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजर	बी.ए. भाग–1	20
		बी.एस.सी. भाग 1 (बायोलाजी)	30
		बी.एस.सी. भाग 1 (गणित)	20
		बी.एसी. भाग 1 आई.टी.	3
		बी.काम. भाग 1	30
		एम.एस.सी. गणित	10
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	5
8	शासकीय महाविद्यालय, सिमगा, जिला–बलौदाबाजार	बी.ए. भाग एक	20
		बी.एसी. भाग एक बायो.	20
9	शासकीय महाविद्यालय, कसडोल, जिला–बलौदाबाजार	बी.ए. प्रथम वर्ष	40
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो समूह	30
		बी.एसी. प्रथम वर्ष गणित	30

		एम एस सी. रसायनशास्त्र	10
		एम एस सी. गणित	15
10	शासकीय पी जी महाविद्यालय, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार	बी ए प्रथम वर्ष	40
		बी एस सी. प्रथम वर्ष बायो समूह	30
		बी एस सी. प्रथम वर्ष गणित	30
		एम एस सी. रसायनशास्त्र	10
		एम एस सी. गणित	15
11	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम, जिला– गरियाबद	बी एस सी बायो समूह प्रथम वर्ष	30
		बी एस सी. गणित समूह प्रथम वर्ष	20
		बी ए प्रथम वर्ष	60
		बी कॉम प्रथम वर्ष	30
12	शासकीय महाविद्यालय, छुरा जिला– गरियाबंद	बी ए प्रथम वर्ष	30
		बी एस सी बायो समूह प्रथम वर्ष	20
13	शासकीय पी जी महाविद्यालय, कुरूद, जिला– धमतरी	बी कॉम प्रथम वर्ष	20
		बी एस सी. प्रथम वर्ष (गणित	40
		एम ए पूर्व भूगोल	10
		एम एस सी. पूर्व रसायन	10
		एम एस सी. पूर्व भौतिकी	10
14	शासकीय महाविद्यालय, भखारा , जिला–धमतरी	बी ए प्रथम वर्ष	5
		बी काम. प्रथम वर्ष	5
		बी एस सी. प्रथम वर्ष बायो	5
		बी एस सी. प्रथम वर्ष गणित	5
		पी जी डी सी ए	5
		डी सी ए	5
15	शास. महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी	बी ए प्रथम वर्ष	20
		बी एस सी. प्रथम वर्ष	20
16	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी महा. महासमुंद, जिला–महासमुंद	बी ए प्रथम वर्ष	80
		बी एस सी. प्रथम वर्ष गणित	30
		बी एस सी. प्रथम वर्ष बायो	10
		बी काम. प्रथम वर्ष	40
		एम काम. प्रथम सेमेस्टर	10
		एम एस सी. रसायन प्रथम सेमे	5
		एम एस सी. वनस्पति शास्त्र	5

		एम.ए. समाज शास्त्र प्रथम सेमे.	5
		एम.एस.सी. गणित	5
		पी.जी.डी.सी.ए.	20
		डी.सी.ए.	10
17	शासकीय महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद	बी.एस.सी. बायो. प्रथम वर्ष	20
18	शासकीय महाविद्यालय सरायपाली, जिला–महासमुंद	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	15

पालन : अधिसूचना क्रमांक 2228/अका./2016 रायपुर, दिनांक 07.09.2016 जारी कर संबंधितों को सूचित किया गया।

05. यू.जी.सी. द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुवीक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना दिनांक 4 मई, 2016 अनुसार रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व इस विश्वविद्यालय से पी–एच.डी. उपाधि प्राप्त अथवा पंजीकृत उपाधि धारकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः यू.जी.सी. द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुवीक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना दिनांक 4 मई, 2016 अनुसार रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व इस विश्वविद्यालय से पी–एच.डी. उपाधि प्राप्त अथवा पंजीकृत उपाधि धारकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई एवं प्रमाणपत्र के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

पालन : निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

06. सत्र 2015–16 एवं 2016–17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :–

शासकीय महाविद्यालय

2015–16

1 शास. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–रायपुर
2 शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग
3 शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर, कन्या महाविद्यालय दुर्ग

2016–17

4 शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद
5 शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला–रायपुर
6 नवीन शास. कालेज भखारा, जिला–धमतरी
7 डॉ. राधा बाई, शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
8 शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला– बलौदाबाजार
9 शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला–गरियाबंद
10 शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी

अशासकीय महाविद्यालय

1 ओम श्री साई नाथ विद्यालय परसतराई (धरसींवां), जिला- रायपुर (छ.ग.)
2 शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर (छ.ग.)

3 विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ ग)
4 कोलम्बिया कालेज, प्लाट न–97, ग्राम–टेकारी, पो आ–मांढर, जिला–रायपुर (छ ग) 493111
5 श्रीमती पी जी डागा कन्या महाविद्यालय, कचहरी चौक, रायपुर
6 सेंचुरी सिमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला–रायपुर (छ ग)
7 दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट, स्टडिज, सत्यविहार, विधान सभा, चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार, मार्ग, रायपुर (छ ग)
8 दिशा विधि महाविद्यालय, सत्य विहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, रायपुर
9 शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांढर, रायपुर जिला–रायपुर (छ ग)
10 कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लाट नं 2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
11 नवीन शास कालेज भखारा, जिला–धमतरी
12 गुरूकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाडी, रायपुर (छ ग)
13 महंत लक्ष्मी नाराण दास महा रायपुर (छ ग)
14 विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ ग
15 विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, व्हाया–मंदिर हसौद, जिला–रायपुर (छ ग)
16 इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस देवभोग रोड, गरियाबद, जिला–गरियाबंद (छ ग)
17 नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, जिला–रायपुर (छ ग) (2015–16)

निर्णय : सत्र 2015–16 एवं सत्र 2016–17 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

पालन : निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महा. अभनपुर	PGDCA	40	2016–17	1. डॉ. अनिल तिवारी, प्राचार्य, दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर 2. डॉ. समीर ठक्कर, शासकीय नागार्जुन विज्ञान पीजी कालेज, रायपुर
		DCA	40	2016–17	
	निरीक्षण तिथि : 26.07.2016 – 1. अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. प्रयोगशाला उपलब्ध है। (कम्प्यूटर प्रयोगशाला PGDCA/DCA हेतु) 3. कालेज में कुल 25 कम्प्युटर उपलब्ध है। 4. 05 कम्प्यूटर की आवश्यकता है। 5. बीस हजार रुपये (20,000=00) की कम्प्यूटर से संबधित किताबें क्रय कियए जाने की आवश्यकता है। 6. नए कोर्स हेतु दो शिक्षकों एवं एक प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जावे।				
	निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।				
	पालन : आदेश क्र. 2157/अका./सम्बद्धता/2016 दिनांक 31.08.2016 जारी किया गया।				

उप कुलसचिव (अका.)